पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दुरभाषः 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 6524/अका.का.प/2018 रायपुर, दिनॉक, **12/06/2018**

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की चालीसवीं बैठक मंगलवार, दिनांक 19.06.2018 को अपरान्ह 3:00 बजे की विषयसूची

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 20.04.2018 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना। (पृ.क्र. 1 से 5 तक)
2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 20.04.2018 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्तावः–

3. शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला के लिये खेल सामग्री एवं अन्य सामग्री क्रय किये जाने हेतु 16,50,000/– की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 06)
4. डिजिटल मूल्यांकन कार्य देयक रु. 13,01,588=00 के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 07)
5. श्री जानकी प्रसाद शर्मा बर्खास्त कर्मचारी के प्रकरण पर अंकेक्षण प्रतिवेदन अवलोकनार्थ प्रस्तुत। (पृ.क्र. 08 से 47 तक)

   टीप : कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 20.04.2018 में विषय क्रमांक 7 पर निर्णय लिया गया कि संलग्न अंकेक्षण प्रतिवेदन का मा. सदस्यों द्वारा अवलोकन कर एवं पुनः चर्चा हेतु आगामी कार्यपरिषद् में प्रस्तुत किया जावे प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

वित्त विभाग से संबंधित प्रस्तावः–

6. नवीन अंशदायी पेंशन योजनांतर्गत जमा राशि के आहरण के संबंध में छ.ग. शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक 485/एफ 2015–4–01753/वित्त नियम/चार, दिनांक 27.11.2017 को अंगीकृत किये जाने पर विचार करना। (पृ.क्र. 48 से 54 तक)
7. छ.ग. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के वित्त निर्देश 34, 35/2018 क्रमशः पत्र क्रमांक 257/एफ–2013–04–00416/वि/नि/चार दिनांक 29.05.2018 एवं पत्र क्र. 259/एफ–2013–04–00416/वित्त/नियम/चार दिनांक 29.05.2018 के अनुसार विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों को राज्य शासन के नियमानुसार महंगाई भत्ता 136 के स्थान पर 139 प्रतिशत प्रदान किए जाने के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 55 से 60 तक)

परीक्षा/गोपनीय विभाग से संबंधित प्रस्तावः–

8. वर्ष 2018 गोपनीय मुद्रण भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : वर्ष 2018 की परीक्षाओं के गोपनीय मुद्रण कार्य हेतु माननीय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.02.2018 के द्वारा अनुमोदित फर्म के माध्यम से वर्ष 2018 की वार्षिक परीक्षा गोपनीय मुद्रण कार्य कराया गया।

अधिकृत फर्म द्वारा कार्य संपादन उपरांत रुपये– 25,61,745.00 (पच्चीस लाख इकसठ हजार, सात सौ पैंतालीस रुपये मात्र) का देयक प्रस्तुत किया है। संबंधित फर्म को रुपये 25,61,745.00 (पच्चीस लाख, ईकसठ हजार, सात सौ पैतालीस रुपये मात्र) भुगतान किये जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

9. दिव्यांग छात्र श्री जयंत अग्रवाल, बी.एड्. प्रथम सेमेस्टर रोल नं.–1723244 को अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुमोदन करना। (पृ.क्र. 61 से 65 तक)

10. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.02.2018 के निर्णयानुसार पारिश्रमिक परिवर्तन हेतु गठित समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करना। (पृ.क्र. से तक)

NCNR विभाग से संबंधित प्रस्तावः–

11. वित्तीय वर्ष 2018–19 के प्रस्तावित बजट में NCNR के व्यय हेतु विकास मद की राशि को सामान्य मद में स्थानांतरित किये जाने के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 66 से तक)

वित्त विभाग से संबंधित प्रस्तावः–

12. विश्वविद्यालय भवन/परिसर में सीसीटीवी कैमरा स्थापित करने हेतु राशि रु. 27.00 लाख प्रशासकीय स्वीकृति एवं अनुमोदन के संबंध में। (पृ.क्र. 67-68)

13. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

कुलसचिव

पृ.क्रमांक : 6525/अका.का.प/2018 रायपुर, दिनाँक, **12/06/2018**

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

NAAC ACCREDITED "A"

क्रमांकः 6273 /अका./का.प./2018 रायपुर, दिनांक : 26/04/2018

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की उनचालीसवीं* बैठक शुक्रवार, दिनांक 20.04.2018 को अपरान्ह 03:00 बजे कुलपति सचिवालय के बैठक कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुएः

प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति – अध्यक्ष

1.	डॉ. (श्रीमती) मोयना चक्रवर्ती	– सदस्य	9.	डॉ. नरेन्द्र पटनायक	– सदस्य
2.	डॉ. (श्रीमती) शैल शर्मा	– सदस्य	10.	श्री चंद्र कुमार चंद्राकर	– सदस्य
3.	डॉ. बशीर हसन	– सदस्य	11.	डॉ. डी.एन. वर्मा	– सदस्य
4.	डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	– सदस्य	12.	श्री एस.के. चक्रवर्ती	– सदस्य
5.	डॉ. एच.के. पाठक	– सदस्य	13	श्री नरेशचन्द्र गुप्ता	– सदस्य
6.	डॉ. श्रीकांत कमलाकांत पाण्डेय	– सदस्य	14	डॉ. लक्ष्मीकांत भारती	– सदस्य
7.	डॉ. सोम कुमार चटर्जी	– सदस्य	15	श्री श्रीचंद सुंदरानी	– सदस्य
8.	डॉ. चन्द्रशेखर चौबे	– सदस्य			

डॉ. संदीप वनसूत्रे कुलसचिव – सचिव

कार्यवृत्त :

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 28.03.2018 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

   निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.03.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान की गई।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 28.03.2018 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

   निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.03.2018 की बैठक के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।

<u>प्रशासन विभाग से संबंधित प्रस्तावः–</u>

3. डॉ. बी. के. मेहता प्रकरण पर विश्वविद्यालय के अधिवक्ता से प्राप्त अभिमत अवलोकनार्थ एवं निर्देशार्थ प्रस्तुत।

   निर्णय : निर्णय लिया गया कि निलंबन अवधि के पश्चात् सेवा में बहाल किये जाने के कारण वि.वि. के परिनियम 31(61) के अनुसार निलंबन अवधि में देय निलंबन भत्तों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का, अन्य स्वत्व देय नहीं होगा। परन्तु पेंशन की गणना हेतु निलंबन अवधि को सेवाकाल की गणना में लिया जावेगा।

4. डॉ. शैलेन्द्र सराफ, प्रोफेसर, फार्मेसी संस्थान का धारणाधिकार स्वीकृत किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : वि.वि. फार्मेसी संस्थान के प्राध्यापक डॉ. शैलेन्द्र सराफ को दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग में कुलपति नियुक्त होने के फलस्वरूप उनके द्वारा प्राप्त आवेदन को मान्य करते हुए कार्यमुक्त होने की तिथि दिनांक 02.04.2018 से पाँच वर्ष के लिए धारणाधिकार की स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।

<u>अकादमिक विभाग से संबंधित प्रस्तावः–</u>

5. श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय रायपुर में प्रभारी प्राचार्य के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय रायपुर में नियमित प्राचार्य की नियुक्ति हेतु माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में वि.वि. द्वारा कार्यवाही किये जाने की सूचना ग्रहण की गई।

6. डॉ. मेघा अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक, गुरूकुल महिला महाविद्यालय, रायपुर की सेवा समाप्ति के प्रकरण में ट्रिब्यूनल द्वारा जांच प्रतिवेदन/बंद लिफाफा पर विचार करना।

निर्णय : डॉ. मेघा अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक, गुरूकुल महिला महाविद्यालय, रायपुर की सेवा समाप्ति के प्रकरण में ट्रिब्यूनल द्वारा जांच प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

<u>विकास विभाग से प्राप्त प्रस्तावः–</u>

7. श्री जानकी प्रसाद शर्मा बर्खास्त कर्मचारी के प्रकरण पर अंकेक्षण प्रतिवेदन अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि संलग्न अंकेक्षण प्रतिवेदन का मान. सदस्यों द्वारा अवलोकन कर एवं पुनः चर्चा हेतु आगामी कार्यपरिषद् में प्रस्तुत किया जावे।

मूल विज्ञान केन्द्र –

8. मूल विज्ञान केंद्र हेतु Chemicals/Plasticwares/Glasswares/Euipments/Instruments क्रय किये जाने हेतु अनुमानित लागत रु. 20,17,925=00 (बीस लाख सत्रह हजार नौ सौ पच्चीस रुपये) की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : मूल विज्ञान केंद्र हेतु Chemicals/Plasticwares/Glasswares/ Euipments/Instruments क्रय किये जाने हेतु अनुमानित लागत रु. 20,17,925=00 (बीस लाख सत्रह हजार नौ सौ पच्चीस रुपये) का अनुमोदन किया गया।

9. मूल विज्ञान केन्द्र के फिजिक्स लैब के लिये इंस्ट्रूमेंट सामग्री रु. 22,64,491=00 (बाइस लाख चौंसठ हजार चार सौ इंक्यानबे रुपये) निविदा के माध्यम से क्रय करने के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : मूल विज्ञान केन्द्र के फिजिक्स लैब के लिये इंस्ट्रूमेंट सामग्री रु. 22,64,491=00 (बाइस लाख चौंसठ हजार चार सौ इंक्यानबे रुपये) निविदा के माध्यम से क्रय करने के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

10. मूल विज्ञान केन्द्र के लिये फर्निचर हेतु रु. 12,54,458=00 (बारह लाख चौवन हजार चार सौ अंट्ठावन रुपये) निविदा के माध्यम से क्रय करने के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : मूल विज्ञान केन्द्र के लिये फर्निचर हेतु रु. 12,54,458=00 (बारह लाख चौवन हजार चार सौ अंट्ठावन रुपये) निविदा के माध्यम से क्रय करने के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

फार्मेसी संस्थान –

11. फार्मेसी संस्थान के प्रथम तल पर नवनिर्मित लैब एवं इंस्ट्रूमेंट लैब को मॉड्यूलर वर्क टॉप्स बनाये जाने हेतु अनुमानित लागत रु. राशि 8.00 लाख के व्यय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : फार्मेसी संस्थान के प्रथम तल पर नवनिर्मित लैब एवं इंस्ट्रूमेंट लैब को मॉड्यूलर वर्क टॉप्स बनाये जाने हेतु अनुमानित लागत रु. राशि 8.00 लाख के व्यय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

भौतिकी अध्ययनशाला –

12. DST Fist प्रोग्राम के अंतर्गत स्वीकृत राशि से भौतिकी अ.शा. के लिये कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, यू.पी.एस., प्रोजेक्टर आदि सामग्री क्रय किये जाने हेतु अनुमानित व्यय रु. 7,86,948=00 के संबंध में विचार करना।

निर्णय : DST Fist प्रोग्राम के अंतर्गत स्वीकृत राशि से भौतिकी अ.शा. के लिये कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, यू.पी.एस., प्रोजेक्टर आदि सामग्री क्रय किये जाने हेतु अनुमानित व्यय रु. 7,86,948=00 का अनुमोदन किया गया।

भू–विज्ञान अध्ययनशाला –

13. भू–विज्ञान अध्ययनशाला के सेमिनार हॉल के लिये फर्नीचर एवं अन्य सामग्री क्रय किये जाने के लिये अनुमानित व्यय रू. 7,15,000=00 की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : भू–विज्ञान अध्ययनशाला के सेमिनार हॉल के लिये फर्नीचर एवं अन्य सामग्री क्रय किये जाने के लिये अनुमानित व्यय रू. 7,15,000=00 की स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>वोकेशनल कोर्स से संबंधित प्रस्तावः–</u>

14. B.Voc. के Advisory Committee की अनुशंसा को स्वीकार करने पर विचार करना।

निर्णय : निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय के विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में इसे प्रस्तुत किया जावे।

विविध प्रकरण सूचनार्थ –

15. माननीय कार्यपरिषद् के सदस्य श्री नरेशचंद्र गुप्ता से E-mail दिनांक 22.03.2018 के बिंदु क्रमांक 1–4 की जानकारी वि.वि. के पत्र क्रमांक 24.03.2018 के द्वारा दिये जाने की सूचना कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.03.2018 में दी गई। बिन्दु क्रमांक 05 की जानकारी नहीं दी गई थी, जिसके लिये माननीय सदस्य 10.04.2018 के संदर्भ में वि.वि. के पत्र क्रमांक 1527 दिनांक 13.04.2018 को प्रेषित की गई। पत्र की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न।

निर्णय : माननीय कार्यपरिषद् के सदस्य श्री नरेशचन्द्र गुप्ता से ई मेल दिनांक 1004.2018 के माध्यम से प्राप्त पत्र डॉ. जे.एल. गंगवानी के त्याग पत्र दिये जाने के संबंध में वि.वि. के पत्र क्रमांक 1527 दिनांक 13.04.2018 को प्रेषित की गई थी, की सूचना ग्रहण की गई।

<u>प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य प्रस्तावः–</u>

16. आकस्मिकता तथा कार्यभारित स्थापना से 01.11.2004 के पश्चात् कार्यभारित स्थापना में दै.वे. भो. से नियमित हुए 50 कर्मचारियों को छ.ग. सिविल सेवा पेंशन नियम 1979 अंतर्गत पेंशन योजना का लाभ प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रस्तावाधिन कर्मचारियों के लिए लागु नहीं होने के कारण उपरोक्त प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया।

<u>अध्यापक शिक्षा संस्थान से संबंधित प्रस्तावः–</u>

17. अध्यापक शिक्षा संस्थान के नवनिर्मित भवन के लिये फर्नीचर क्रय किये जाने हेतु अनुमानित व्यय राशि रु. 23,29,255=00 की प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णय : अध्यापक शिक्षा संस्थान के नवनिर्मित भवन के लिये फर्नीचर क्रय किये जाने हेतु अनुमानित व्यय राशि रु. 23,29,255=00 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर अनुमोदन किया गया।

<u>अध्यक्ष के अनुमति से अन्य निर्णय</u>

1. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 19.04.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 19.04.2018 की कंडिका 5 के संदर्भ में "संबंधित अध्यादेश क्रमांक 45 में सक्षम स्वीकृति द्वारा अंतःस्थापन के उपरांत ही विश्वविद्यालय में धारणाधिकार प्राप्त प्राध्यापक अपने अधीन नये शोधार्थी ले सकेंगे।" इस आंशिक संशोधन के साथ कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

2. श्रीमती प्रमिला गोकुल दास डागा कन्या महाविद्यालय, रायपुर के पत्र क्रमांक 70/डागा/2018 दिनांक 19.04.2018 के अनुक्रम में प्रबंधन समिति के शासी निकाय की बैठक दिनांक 15.04.2018 के निर्णयानुसार श्री डी.के. दुबे, सहायक प्राध्यापक को सेवा से निलंबन किये जाने की सूचना ग्रहण की गई इस संबंध में शासी निकाय से कार्यवाही विवरण प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक 6274/अका./का.प./2018 रायपुर, दिनांक : 26 /04/2018

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
4. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

06

कार्य परिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :–शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला के लिये खेल सामग्री क्रय किये जाने के संबंध में।

वि.वि. के शारीरिक शिक्षा अ.शा. के लिये खेल सामग्री क्रय हेतु निविदा सूचना क्रमांक 27/विकास/निसू/2018 रायपुर, दिनांक 05/02/2018 के द्वारा निविदा सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था। निर्धारित तिथि तक निम्नलिखित फर्मो द्वारा सीलबंद लिफाफा में निविदा प्रस्तुत किया गया था, जिसे निविदाकर्ता की उपस्थिति में दिनांक 09/03/2018 को खोला गया है।

1. Sweat it Sports, Shop No.7, Land View C.H.S., Sector-15, Vashi, Navi Mumbai-400703
2. Shams Sports Stationers, Sadar Bazar, Raipur
3. श्री बालाजी इन्टरप्राईजेश शाप न. जी.एफ.8 मिलेनियम प्लाजा, रायपुर (छ.ग.)

शारीरिक अध्ययनशाला के लिये अलग–अलग 38 प्रकार के खेल सामग्री एवं अन्य सामग्री क्रय किया जाना है जिस पर अनुमानित व्यय रू.16,50,000=00 (सोलह लाख पचास हजार मात्र) होगा। अतः शरीरिक शिक्षा अध्ययनशाला के लिये खेल सामग्री क्रय करने के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

25-5-18 DR (Dev.)

Deputy 25/5/18

कार्य परिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :–डिजिटल मूल्यांकन कार्य देयक रू.13,01,588=00 के भुगतान के लिये स्वीकृति हेतु ।

01. स्केनिंग, डिजिटाइजेशन एवं उत्तरपुस्तिका कम्प्यूटर आधारित मूल्यांकन हेतु निविदा सूचना क्र.215 / विकास / नि.सू. / 2017 रायपुर, दिनांक 12 / 07 / 2017 समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था।

02. कार्य परिषद की बैठक दिनांक 24 / 08 / 2017 के विषय क्र.08 में हुये स्वीकृति अनुसार Aptech Limited, A-65, Aptech House, MIDC, Kiarol Andheri [E] Mumbai के नाम से पत्र क्र.230 / विकास / 2017 रायपुर, दिनांक 24 / 07 / 2017 जारी कर उक्त फर्म से रू.5,00,000=00 (पाच लाख मात्र) अमानत राशि जमा कराया गया है।

03. उक्त फर्म द्वारा उत्तर पुस्तिका के डिजिटल मूल्यांकन का कार्य करने के उपरान्त निम्नानुसार देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है।

(i) देयक क्रमांक 227000003 दिनांक 17 / 11 / 2017 के द्वारा रू.9,88,764=00 (नौ लाख अठयासी हजार सात सौ चौसठ मात्र)

(ii) देयक क्रमांक 227000002 दिनांक 17 / 11 / 2017 के द्वारा रू.4,14,145=53 (चार लाख चौदह हजार एक सौ पैतालीस रूपये तिरपन पैसे मात्र)

इस प्रकार उक्त फर्म द्वारा कुल रू.14,02,909=00 भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्राप्त देयक को गोपनीय विभाग से प्रमाणित कराने के उपरान्त परीक्षण हेतु वित्त विभाग को नस्ती भेजा गया था। वित्त विभाग द्वारा देयक एवं नस्ती के परीक्षण उपरान्त रू.13,01,588=00 (तेरह लाख एक हजार पाच सौ अठयासी मात्र) भुगतान योग्य पाया गया है।

अतः संबंधित फर्म को रू.13,01,588=00 (तेरह लाख एक हजार पाच सौ अठयासी मात्र) को भुगतान करने के लिये स्वीकृति हेतु कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

23-5-18 DR (Dev.)

25/5/18

4 set

8

कार्यालय उप संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा रायपुर (छ.ग.)

(संभागीय कोष लेखा पेंशन परिसर, प्रथम तल, घडी चौक दूरभाष – 0771–2229657)

क्रमांक / डी.डी.एल.ए.आर. / प्रति.–1 / गोप / 4389 रायपुर, दिनांक–21/3/ 2018

कुल सचिव, पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर छ.ग. की ओर अंकेक्षण प्रतिवेदन **(आपत्ति कंडिका क्रमांक 04 पर विशेष अंकेक्षण)** वर्ष 2008–09 से 2011–12 प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया अपने उत्तर सहित पालन प्रतिवेदन अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रसारित दिनांक से चार माह के भीतर इस कार्यालय को भेजने की व्यवस्था करें ।

1. कृपया प्रत्येक अनुच्छेद क्रमांक के समक्ष स्थानीय प्रभारी अधिकारी के उत्तर के लिये जो स्थान है वही लिखा जावे। अंकेक्षण प्रतिवेदन दो प्रतियों में भेजकर लेख्य है कि कृपया प्रतिवेदन उत्तर सहित इस कार्यालय को भेजने की व्यवस्था करें।

2. अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति दिनांक से कृपया आगामी डाक द्वारा सूचित करने का कष्ट करें।

(एस.एस.ताण्डेय)
उपसंचालक
स्थानीय निधि संपरीक्षा
रायपुर (छ.ग.)

पृ.क. / डी.डी.एल.ए.आर. / प्रति. / 18 / रायपुर, दिनांक– / / 2018

प्रतिलिपि:–

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय छ.ग.शासन नया रायपुर द्वारा संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, इन्द्रावती भवन, ब्लाक–1 नया रायपुर ।
2. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, इन्द्रावती भवन, ब्लाक–1 नया रायपुर छ.ग. ।

1822 / आ.प्रशा. 28/3/18

Network (Development)

sd
(एस.एस.ताण्डेय)
उपसंचालक
स्थानीय निधि संपरीक्षा
रायपुर (छ.ग.)

(9)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन भाग–एक

1.	वर्तमान अंकेक्षण तिथि	–	दिनांक 22.09.17 से 08.01.18
2.	लेखा वर्ष	–	2008–09 से 2011–12
3.	निकाय के पदाधिकारी	–	
	(अ) माननीय कुलपति	–	(1) डॉ. लक्ष्मण चतुर्वेदी
			दिनांक 01.08.2008 से 01.03.2009 तक
			(2) डॉ. शिवकुमार पाण्डेय
			दिनांक 02/03/2009 से 31/03/2012 पर्यन्त
	(ब) कुलसचिव	–	(1) डॉ. इन्दु अनंत
			दिनांक 01/04/2008 से 01/05/2010
			(2) श्री के.के. चंद्राकर
			दिनांक 02/05/2010 से 31/03/2012 पर्यन्त
4.	ज्येष्ठ सम्परीक्षक	–	आर. एस. गेहलोत
5.	सहायक संपरीक्षक	–	बी.एस. तोमर
6.	सहायक संचालक	–	श्री टी.आर. ठाकुर
7.	प्रतिवेदन की पृष्ठ संख्या	–	39
	संलग्न सत्यापित पृष्ठों की संख्या	–	140
	कुल पृष्ठों की संख्या	–	179

(10)

प्रस्तावना एवं भूमिका:–

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 की धारा 2 (ज) एवं छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा नियम 1974 के नियम 16 के अंतर्गत कार्यालय उपसंचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा रायपुर के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/डी.डी.एल.ए.आर./प्रति–1/1903 रायपुर दिनांक – 08.09.17 के निर्देशानुसार निम्नांकित प्रकरण के संबंध में विशेष संपरीक्षा संपादित की गयी –

"पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर अर्थवर्ष 2009–10की आपत्ति क्रमांक 04 "श्री जानकी प्रसाद शर्मा (बर्खास्त कर्मचारी) के गबन प्रकरण के संबंध में विशेष अंकेक्षण"

पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर अर्थवर्ष 2009–10 की कण्डिका क्रमांक 04 "प्रभक्षण वसूली योग्य राशि रू. 30,13,370.00 को आधार मान कर विशेष संपरीक्षा किया गया ।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त संपरीक्षा प्रतिवेदन कार्यालय उपसंचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक/डी.डी.एल.ए.आर./प्रति/3276 रायपुर दिनांक 30.11.2015 को प्रसारित किया गया । जबकि श्री जानकी प्रसाद शर्मा निम्न वर्ग लिपिक को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के आदेश क्रमांक 524/सा.प्रशा./2015 रायपुर दिनांक 12.02.2015 को विश्वविद्यालय की सेवा से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जा चुका था ।

कार्यालय पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 2704/सा.प्रशा./2012 दिनांक 19.07.2012 के आदेशानुसार संस्थित विभागीय जांच उपरांत प्राप्त जांच रिपोर्ट में उन पर लगाये गये आरोप प्रमाणित सिद्व पाये गये तथा रू. 30,13,370.00 का गबन किया जाना प्रमाणित पाया गया । डॉ.जे.एल.गंगवानी, जांच अधिकारी/उपकुल सचिव (प्रशासन) द्वारा विभागीय जांच प्रतिवेदन दिनांक 14.11.13 को प्रस्तुत किया गया जिसकी सत्यापित फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के साथ पृष्ठ **क्रमांक 01 से 31** में प्रमाण स्वरूप संलग्न है । श्री जानकी प्रसाद शर्मा को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया । उन्होने जवाब में आरोपो को अस्वीकार किया । विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा श्री शर्मा के जवाब से असहमत होते हुए विभागीय जांच में प्रमाणित आरोपो के फलस्वरूप उन्हें छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 एवं विश्वविद्यालय परिनियम–31 की कण्डिका 57 (1) (ल) के तहत विश्वविद्यालय की सेवा से श्री जानकी प्रसाद शर्मा निम्न वर्ग लिपिक को आदेश दिनांक 12.02.2015 से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया । सुलभ संदर्भ हेतु आदेश क्रमांक 524 दिनांक 12.02.2015 की सत्यापित प्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ क्रमांक 32** पर संलग्न है ।

राशि रू. 30,13,370.00 के प्रभक्षण की विभागीय जांच अर्थवर्ष 2008–09, 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 कुल 04 वर्षो की विकास विभाग द्वारा 14 मदो के मूल्य धारित विश्वविद्यालय की विवरण पत्रिका, परीक्षा फार्म एवं अन्य प्रपत्र एवं फार्मो के प्रारंभिक स्कंध, वितरण की प्रविष्टियां, विक्रय संख्या, विक्रय दर आदि के संबंध में जांच की गयी है ।

(11)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के आदेश कमांक 3540/सा.प्रशा./2009 रायपुर दिनांक 27.07.2009 के द्वारा श्री जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक को कार्यरत विभाग परीक्षा विभाग से विकास विभाग में स्थानांतरित किया जाना पाया गया । पत्र की सत्यापित फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 33** पर सलग्न है ।

विशेष अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये वर्ष 2008–09, 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 के अपूर्ण स्टॉक/वितरण पंजी, प्रारंभिक निरीक्षण जांच नस्ती, विभागीय जांच प्रतिवेदन दिनांक 14.11.13 पृष्ठ 31 एवं रसीद पन्नों की द्वितीय प्रतियों के आधार पर निम्नानुसार विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत है–

(01) 1142 नग विवरण पत्रिकाओं की भण्डार में कमी एवं स्टॉक पंजी अपूर्ण:–

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के विकास विभाग में संधारित विवरण पत्रिका के स्टॉक पंजी, वितरण पंजी दिनांक 12.06.08 से 17.02.12 तक विशेष संपरीक्षा के परीक्षण में निम्नांकित तथ्य पायें गये–

1– स्टॉक पंजी विधिवत संधारित नही की गयी है । प्राप्त सामग्री की इन्द्राज प्राप्ति एवं वितरण दोनो तरफ प्राप्ति इन्द्राज दर्ज किया गया है जबकि सामग्री का वितरण या उपयोग नही बताया गया है ।

2– विवरण पत्रिका वितरण पंजी सत्यापित नहीं पायी गयी ।

3– वितरण पंजी में अत्यधिक कांट–छांट होना पाया गया ।

4– **वर्ष 2008–09** में आदेश कमाक 1230/विकास/08, दिनांक 07.05.08 द्वारा विवरण पत्रिका छत्तीसगढ़ संवाद से मुद्रण कराया गया । छत्तीसगढ संवाद के देयक कमांक 046 दिनांक 29.06.09 द्वारा हिन्दी पत्रिका 2970 नग एवं अंग्रेजी पत्रिका 995 नग कुल 3965 नग राशि रू. 1,31,763.00 का बिल प्रस्तुत कर विवरण पत्रिका की पूर्ति की गयी जिसे स्टॉक पंजी सी.ए.–01 पृष्ठ कमांक 101 में प्रविष्टि की गयी है । स्टॉक पंजी में विशेष कर्त्तव्य अधिकारी (विकास विभाग) के हस्ताक्षर पाये गये । स्टॉक पंजी में प्रविष्टि पश्चात वर्ष 2008–09 के वितरण पंजी पृष्ठ कमांक 29 में विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (विकास विभाग) के हस्ताक्षर है । 3965 नग प्राप्त दर्ज कर पृष्ठ कमांक 30 से 34 तक दिनांक 12.06.08 से 13.04.09 तक कुल 3888 नग विक्रय एवं कार्यालयीन उपयोग होना पाया गया । शेष 77 नग फार्म रद्दी में विक्रय बताया गया है । इससे संबंधित नोटशीट दिनांक 11.02.10 की सत्यापित प्रति इस प्रतिवेदन की **पृष्ठ कमांक 34** पर संलग्न है । रद्दी में विक्रय होने संबंधी अन्य प्रमाण अंकेक्षण में उपलब्ध नही कराये गये ।

5– **वर्ष 2009–10 में 1141 नग विवरण पत्रिकाओं की कमी–** आदेश कमांक 1583/विकास/09 दिनांक 02.06.09 द्वारा छत्तीसगढ़ संवाद से विवरण पत्रिका मुद्रण कराया गया । संवाद का देयक कमांक 078 दिनांक 21.07.09 द्वारा हिन्दी विवरण पत्रिका 3494 नग तथा अंग्रेजी विवरण पत्रिका 1500 नग इस प्रकार कुल 4994 नग विवरण पत्रिका राशि रू. 1,20,157.00 का बिल प्रस्तुत कर पत्रिका पूर्ति की गयी जिसे स्टॉक पंजी सी.ए.–01 के पृष्ठ कमांक 101 में प्रविष्टि की गयी । स्टॉक पंजी में विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (विकास विभाग) के हस्ताक्षर पाये गये । वितरण पंजी के पृष्ठ कमांक 41 में

4994 नग दर्ज परन्तु विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (विकास विभाग) के हस्ताक्षर नहीं पाये गये । वितरण पंजी पृष्ठ कमांक 42 से 47 तक दिनांक 15.06.09 से 27.04.10 तक कुल 3732 नग विकय एवं कार्यालयीन उपयोग होना पाया गया । विवरण पत्रिका के स्टॉक पंजी एवं वितरण पंजी में न तो योग लगाया गया है, न शेष विवरण पत्रिका की संख्या का उल्लेख पाया गया है । परंतु विभागीय निरीक्षण जांच की नस्ती पृष्ठ कमांक 11 पर विवरण पत्रिका दिनांक 05.03.12 की स्थिति में वर्ष 2009–10 में भण्डार मिलान करने पर 121 नग शेष का उल्लेख पाया गया । जिसकी सत्यापित फोटाप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 35** पर अवलोकनार्थ संलग्न है ।जिसमें श्री जानकी प्रसाद शर्मा एवं श्री योगेश सोनटेके का हस्ताक्षर अंकित है ।

इस प्रकार विवरण पत्रिका कुल प्राप्त 4994 (स्टॉक पंजी पृष्ठ 101 एवं वितरण पंजी पृष्ट 41 अनुसार) एवं वितरण 3732 नग पश्चात वास्तविक अवशेष 1262 नग विवरण पत्रिका शेष होना चाहिये । दिनांक 05.03.12 की स्थिति में मात्र 121 नग शेष का उल्लेख निरीक्षण जांच नस्ती के पृष्ठ कमांक 11 पर पाये जाने के कारण 1262–121=1141 नग विवरण पत्रिका भण्डार में कम होना पाया गया ।

6– **वर्ष 2010–11 में 20 नग विवरण पत्रिका अतिरिक्त पाये गये:–** विवरण पत्रिका मुद्रण आदेश नही पाये गये, न ही स्टॉक पंजी में प्रविष्टि पायी गयी । विवरण पत्रिका वितरण पंजी के पृष्ठ कमांक 50 में विवरण पत्रिका प्राप्ति का तीन बार विवरण अंकित किया गया है । इससे वास्तविक स्थिति स्पष्ट नही होती । इस संबंध में निरीक्षण जांच के दस्तावेज नस्ती के पृष्ठ कमांक 17 से 21 तक (जिसकी सत्यापित प्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 36 से 41** में संलग्न है।) में श्री जानकी प्रसाद शर्मा से जानकारी ली गयी जिसमें संवाद के माध्यम से शारदा आफसेट पचपेड़ी नाका रायपुर से मुद्रण कराया जाना एवं देयक अप्राप्त है, श्री जानकी प्रसाद शर्मा द्वारा लिखा गया है । वितरण पंजी के पृष्ठ कमांक 50 में निम्न अनुसार विवरण पत्रिका प्राप्ति का विवरण दर्ज है जिसमें जानकी प्रसाद शर्मा के हस्ताक्षर अंकित है –

बिल कमांक / दिनांक	हिन्दी की विवरण पत्रिका	अंग्रेजी की विवरण पत्रिका	योग
60 / 05.06.2010	100	100	200
60 / 11.06.10	500	450	950
64 / 10.06.10	250	200	450
66 / 14.06.10	1500	600	2100
योग:–	**2350**	**1350**	**3700**

कुल मुद्रित विवरण पत्रिका 3700 नग दर्ज है । वितरण पंजी के पृष्ठ कमांक 51 से 58 तक दिनांक 07.06.10 से 16.03.11 तक कुल 3691 नग विकय एवं कार्यालयीन उपयोग होना पाया गया । इस प्रकार भण्डार में 09 विवरण पत्रिका शेष होना था । विवरण पत्रिका स्टॉक पंजी एवं वितरण पंजी में न तो योग लगाया गया है, न शेष विवरण पत्रिका की संख्या का उल्लेख है । परन्तु निरीक्षण जांच नस्ती के पृष्ठ कमांक 11 पर विवरण पत्रिका दिनांक 05.03.12 की स्थिति में भण्डार

मिलान करने पर 29 नग शेष का उल्लेख पाया गया । सत्यापित फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 42** पर अवलोकनार्थ संलग्न है । जिसमें श्री जानकी प्रसाद शर्मा एवं श्री योगेश सोनटेके का हस्ताक्षर पाया गया । इस प्रकार 9–29 = 20 अतिरिक्त विवरण पत्रिका के संबंध में निरीक्षण जांच नस्ती के नोटशीट पेज कमांक 07 एवं 08 में श्री जानकी प्रसाद शर्मा से जानकारी ली गयी किंतु इस संबंध में उनके द्वारा कोई वास्तविक स्थिति नही बतायी गयी । नोटशीट की सत्यापित प्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 43 एवं 44** पर अवलोकनार्थ संलग्न है ।

7– **वर्ष 2011–12 में 01 नग विवरण पत्रिका की कमी** – आदेश कमांक 397/विकास/2011 दिनांक 02.05.11 द्वारा विवरण पत्रिका छत्तीसगढ़ संवाद से मुद्रण कराया गया । संवाद का देयक कमांक 383 दिनांक 17.01.12 द्वारा हिन्दी पत्रिका 3000 नग एवं अंग्रेजी पत्रिका 2000 नग कुल 5000 नग राशि रू. 1,85,912.00 का बिल प्रस्तुत कर विवरण पत्रिका पूर्ति की गयी जिसे स्टॉक पंजी सी.ए –01 के पृष्ठ कमांक 102 में दर्ज किया गया है । पंजी में विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (विकास विभाग) का हस्ताक्षर पाया गया । वितरण पंजी के पृष्ठ कमांक 59 में 5000 नग विवरण पत्रिका दर्ज है किंतु किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर नही पाये गये । वितरण पंजी के पृष्ठ कमांक 60 से 63 दिनांक 28.05.11 से 17.02.12 तक कुल 3927 नग विवरण पत्रिका विकय एवं कार्यालयीन उपयोग में पाया गया । इस प्रकार (5000–3927) = 1073 नग विवरण पत्रिका भण्डार में शेष होना चाहिये परन्तु वितरण पंजी में न तो योग लगाये गये हैं, न ही अंतिम शेष निकाले गये हैं । निरीक्षण जांच नस्ती एवं भण्डार मिलान लेखा में 1072 नग विवरण पत्रिका शेष पाया गया । जिसका सत्यापन निरीक्षण जांच नस्ती के भण्डार मिलान में पेज कमांक 26 एवं 27 में उल्लेख पाया गया । जिसकी छायाप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 45 एवं 46** पर संलग्न है । इस प्रकार (1073–1072) = 01 नग विवरण पत्रिका भण्डार में कम होना प्रमाणित हुआ ।

उपरोक्तानुसार बिन्दु कमांक 01 से 07 तक दर्शित स्थिति अनुसार स्टॉक पंजी के विधिवत संधारण एवं सत्यापन के साथ–साथ वर्ष 2008–09 में 77 नग विवरण पत्रिकाओं के रद्दी में विकय संबंधी अभिलेख, वर्ष 09–10 में 1141 नग एवं वर्ष 11–12 में 01 नग, इस प्रकार कुल 1142 नग विवरण पत्रिकाओं की कमी के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

(02) डुप्लीकेट अंकसूची फार्म (जून 08 से मई 11 तक) वसूली निरंक :–

डुप्लीकेट अंकसूची फार्म मुद्रण संख्या 17050 एवं वितरण संख्या 9435 बचत संख्या 7615 भण्डार में शेष पाये जाने के कारण वसूली योग्य राशि निरंक है ।

(14)

(3) 3383 नग पुनर्मूल्यांकन फार्म की भण्डार में कमी एवं स्टॉक पंजी अपूर्णः–

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के विकास विभाग में संधारित पुर्नमूल्यांकन फार्म स्टॉक पंजी एवं वितरण पंजी दिनांक 12.06.09 से 15.02.12 तक विशेष संपरीक्षा के परीक्षण में निम्नांकित तथ्य पाये गये–

(1) पुर्नमूल्यांकन फार्म वितरण पंजी सत्यापित नहीं पायी गयी । सत्यापन अपेक्षित है ।
(2) वितरण पंजी में अत्यधिक कांट–छांट होना पाया गया ।

(अ) **वर्ष 2009 में 408 फार्म रद्दी में विक्रयः–** स्वास्तिक प्रिंटरी भांगड़ापारा रायपुर के देयक कमांक 1567 दिनांक 15.06.09 द्वारा 20000 पुर्नमूल्यांकन फार्म विश्वविद्यालय को प्रदाय किया गया । जिसे स्टॉक पंजी सी.ए.–01 पृष्ठ कमांक 41 में दर्ज होना पाया गया । जिसमें विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी विकास विभाग के हस्ताक्षर अंकित पाये गये । वितरण पंजी के पृष्ठ कमांक 13 में पुर्नमूल्यांकन फार्म 20000 नग की प्राप्ति दर्ज किया गया है । जिसमें योगेश सोनटेके सहायक ग्रेड–2 का हस्ताक्षर दिनांक 15.06.09 को दर्ज है । वितरण पंजी के पृष्ठ कमांक 14 से 17 तक दिनांक 12.06.09 से 10.03.10 तक कुल 19592 पुर्नमूल्यांकन फार्म विक्रय किया जाना पाया गया । जिसकी राशि समय–समय पर रसीद द्वारा जमा होना पाया गया । अंकेक्षण में रसीद से जमा राशि का मिलान किया गया । भण्डार में प्राप्त फार्म 20000 के विरूद्व विक्रय फार्म 19592 के पश्चात् भण्डार में 408 पुर्नमूल्यांकन फार्म शेष होना चाहिये । परन्तु वितरण पंजी में न तो योग लगाये गये हैं, न शेष निकाला गया है । निरीक्षण जांच में पुर्नमूल्यांकन फार्म भण्डार में दिनांक 15.0312 को निरंक पाया गया । नोटशीट की सत्यापित फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 47 एवं 48** पर अवलोकनार्थ संलग्न है । निरीक्षण जांच नस्ती के पृष्ठ कमांक 40 पर पुनर्मूल्यांकन फार्म 408 नग सक्षम स्वीकृति पश्चात रद्दी के रूप में विक्रय किये जाने का उल्लेख पाया गया । रद्दी के रूप में विक्रय की अनुमति नोटशीट की फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 34** पर संलग्न है । रद्दी में विक्रय होने संबंधी अन्य प्रमाण अंकेक्षण में उपलब्ध नही कराये गये ।

(ब) **वर्ष 2010 में 2361 नग पुर्नमूल्यांकन फार्म भण्डार में कम पाये गये** :–
वर्ष 2010 में छत्तीसगढ़ संवाद के बिल कमांक 398 दिनांक 20.05.10 को पुर्नमूल्यांकन फार्म 10,000 नग तथा बिल कमांक 404 दिनांक 28.05.10 से 15,000 नग कुल 25,000 नग पुर्नमूल्यांकन फार्म की पूर्ति होना पाया गया जिसे स्टॉक पंजी में सी.ए.–01 पृष्ठ कमांक 42 में दर्ज किया गया है । स्टॉक पंजी में श्री जानकी प्रसाद शर्मा के हस्ताक्षर दिनांक 06.03.12 अंकित है । नोटशीट दिनांक 06.05.10 में ली गयी स्वीकृति अनुसार रेसोग्राफी मशीन से 5000 नग पुर्नमूल्यांकन फार्म की प्रतियां निकाली गयी ।नोटशीट की सत्यापित प्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 49** में अवलोकनार्थ संलग्न है । इस प्रकार स्टॉक में (25000+5000) = 30,000 नग फार्म भण्डार में प्रारंभिक शेष रहा । रेसाग्राफी मशीन से निकाली गयी 5000 नग पुर्नमूल्यांकन फार्म की प्रतियों की प्रविष्टि स्टॉक पंजी में नहीं पायी गयी । वितरण पंजी के पृष्ठ कमांक 50 से 53 दिनांक 17.05.10 से 11.12.10 तक कुल 23,391 नग पुर्नमूल्यांकन फार्म वितरण एवं कार्यालयीन उपयोग की प्रविष्टियां पायी गयी । भण्डार में वास्तविक प्रारंभिक स्टॉक 30,000 एवं वितरण फार्म 23,391 के पश्चात 6609 पुर्नमूल्यांकन फार्म भण्डार में शेष होना चाहिये । परन्तु वितरण पंजी में न तो योग लगाये गये है, न शेष निकाला गया है । नस्ती के

पृष्ठ कमांक 48 पर पुनर्मूल्यांकन फार्म 4221 नग तथा पृष्ठ कमांक 53 पर पुनर्मूल्यांकन फार्म 27 नग भण्डार में वापसी दर्शाये जाने के कारण बचत फार्म संख्या (4221+27) = 4248 होती है । नस्ती के पृष्ठ कमांक 42, 46, 48 एवं 53 अनुसार भण्डार में 4248 नग पुर्नमूल्यांकन फार्म शेष का सत्यापन होना पाया गया । (सत्यापित फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 50 से 56** में संलग्न है ।) वास्तविक भण्डार में शेष पुर्नमूल्यांकन फार्म 6609 के विरूद्व सत्यापन में मात्र 4248 नग शेष पाये जाने के कारण अंतर फार्म की संख्या (6609–4248) = 2361 नग पुर्नमूल्यांकन फार्म भण्डार में कम होना पाये गये ।

(स) **वर्ष 2011 में 1022 नग पुनर्मूल्यांकन फार्म भण्डार में कम पाये गये**:– वर्ष 2011 में कुल सचिव पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के पत्र कमांक 19/विकास/2011 दिनांक 23.06.11 द्वारा 20,000 नग तथा पत्र कमांक 409/विकास/2011 दिनांक 11.05.11 द्वारा 40,000 नग फार्म, इस प्रकार कुल पुनर्मूल्यांकन फार्म 60,000 नग मेसर्स ओसवाल डाटा इंदौर से मुद्रण कराया जाना पाया गया जिसे स्टॉक पंजी में इन्द्राज होना नही पाया गया । पुर्नमूल्यांकन फार्म वितरण पंजी के पृष्ठ कमांक 55 में दर्ज होना पाया गया । परन्तु किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर नही पाये गये । वितरण पंजी के पृष्ठ कमांक 56 से 60 तक दिनांक 14.06.11 से 15.02.12 तक कुल 26,828 फार्म वितरण होना पाया गया । भण्डार में (60000–26828) = 33,172 पुनर्मूल्यांकन फार्म भण्डार में शेष होना चाहिये। परन्तु वितरण पंजी में न तो योग लगाये गये हैं, न तो शेष निकाले गये हैं । इसलिये निरीक्षण जांच नस्ती के पृष्ठ कमांक 55,61,63 पर भण्डार में शेष फार्म की संख्या सत्यापन में 32,150 दर्शाया गया है । सत्यापित प्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 57 से 59** पर संलग्न है । वास्तव में पुनर्मूल्यांकन फार्म 33,172 शेष होना चाहिये । परन्तु सत्यापन में मात्र 32,150 शेष पाये जाने के कारण अंतर फार्म की संख्या (33,172–32150) = 1022 फार्म की कमी पायी गयी ।

उपरोक्त बिन्दु कमांक (अ) में दर्शित स्थिति अनुसार 408 पुनर्मूल्यांकन फार्म रद्दी में विक्रय संबंधी अभिलेख, बिन्दु कमांक (ब) में दर्शित 2361 नग, बिन्दु कमांक (स) में दर्शित 1022 नग, इस प्रकार कुल 3383 पुनर्मूल्यांकन फार्म की भण्डार में कमी के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है ।

(4) 1539 नग पुनर्गणना फार्म की भण्डार में कमी एवं स्टॉक पंजी अपूर्ण:–

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के विकास विभाग में संधारित पुर्नगणना फार्म वितरण पंजी के पेज नंबर 49 से 74 दिनांक 15.06.09 से 10.04.12 तक एवं पृथक वितरण पंजी (डिग्री,माइग्रेशन,डुप्लीकेट,पात्रता आवेदन फार्म एवं पुर्नगणना वितरण पंजी) पृष्ठ कमांक 86 दिनांक 01.12.09 से 17.05.10 तक की विशेष संपरीक्षा के परीक्षण में निम्नांकित तथ्य पाये गये–

(अ) **वर्ष 2009 में 1231 फार्म रद्दी में विक्रय –**

1. स्टॉक पंजी विधिवत संधारित नही की गयी है । सामग्री की प्राप्ति स्कंध पंजी में दोनो तरफ की गयी है । सामग्री वितरण तथा उपयोग की प्रविष्टि स्टॉक पंजी में नही की गयी है । अपितु वितरण पंजी में की गयी है ।

2. वितरण पंजी सत्यापित नही पायी गयी ।

3. वितरण पंजी में अत्यधिक कांट–छांट होना पाया गया ।

4. वर्ष 2009 में मे. स्वास्तिक प्रिंटरी मांगड़ापारा रायपुर के देयक क्रमांक 1567 दिनांक 15.06.09 से 5000 नग पुर्नगणना आवेदन फार्म मुद्रण कराया गया जिसे स्टॉक पंजी सीए–01 पृष्ठ क्रमांक 41 में दर्ज किया गया है । स्टॉक पंजी में विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (विकास) के हस्ताक्षर पाये गये । स्टॉक प्रविष्टि पश्चात वितरण पंजी के पृष्ठ क्रमांक 48 दिनांक 15.06.09 में प्रविष्टि किया गया है । वितरण पंजी में श्री योगेश सोनटेके, सहायक ग्रेड–2 का हस्ताक्षर दिनांक 15.06.09 दर्ज है ।

5. वितरण पंजी के पेज क्रमांक 49 तथा पृथक वितरण पंजी के पेज नंबर 86 में दिनांक 15.06.09 से 17.05.10 तक 3532 नग फार्म का वितरण एवं विक्रय होना पाया गया । इसके अतिरिक्त 230 नग फार्म की राशि (श्रीमती प्रतिमा पटनायक द्वारा रसीद क्रमांक 79/2572 दिनांक 16.06.09 राशि रू. 2300.00 वि.वि. निधि में जमा होना पाया गया) इस प्रकार 3532+230 = 3762 नग फार्म का वितरण एवं विक्रय होना पाया गया। प्रारंभिक शेष 5000 नग फार्म में से 3762 नग फार्म विक्रय होने के पश्चात 1238 नग फार्म भण्डार में शेष होना चाहिये । वितरण पंजी में न तो योग लगाये गये है , न ही शेष निकाला गया है । निरीक्षण जांच नस्ती के पृष्ठ क्रमांक 69 (इसकी सत्यापित प्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ क्रमांक 60** पर संलग्न है) में श्री जानकी प्रसाद शर्मा द्वारा पुर्नगणना फार्म 07 नग शेष होने का उल्लेख करते हुए दिनांक 04.04.12 को हस्ताक्षर किया गया है । अब स्थिति यह बनती है कि बचत पुनर्गणना फार्म 1238–7 = 1231 नग पुनर्गणना फार्म भण्डार में शेष एवं रद्दी में विक्रय संबंधी प्रारंभिक जांच नस्ती के पृष्ठ क्रमांक 68 एवं 70 की सत्यापित प्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ क्रमांक 61 से 62** पर अवलोकनार्थ संलग्न है । इस प्रकार 1231 नग फार्म रद्दी में विक्रय होना निरीक्षण जांच नस्ती में बताया गया है । रद्दी में विक्रय होने संबंधी अन्य प्रमाण अंकेक्षण में उपलब्ध नही कराये गये ।

(ब) **वर्ष 2010 में 944 नग पुनर्गणना फार्म की भण्डार में कमीः–** वर्ष 2010 में छ.ग. संवाद के बिल कमांक 398 दिनांक 20.05.10 द्वारा 5000 नग पुनर्गणना फार्म मुद्रण कराया गया । स्टॉक पंजी सीए–01 पृष्ठ कमांक 42 में इन्द्राज कर विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (विकास) के हस्ताक्षर पाये गये । वितरण पंजी में प्राप्ति प्रविष्टि नही किया गया है । वितरण पजी के पृष्ठ कमांक 70 दिनांक 18.05.10 से पृष्ठ कमांक 71 दिनांक 03.12.10 तक 3776 नग वितरण/विकय किया जाना पाया गया । इस प्रकार कुल फार्म 5000–3776 नग वितरण पश्चात 1224 नग फार्म भण्डार में शेष होना चाहिये । परन्तु वितरण पंजी में न तो योग लगाये गये है, न शेष निकाला गया है । किंतु निरीक्षण जांच नस्ती पृष्ठ कमांक 73 में वर्ष 2010 का पुनर्गणना फार्म दिनांक 20.03.12 की स्थिति में 280 फार्म भण्डार में शेष होने का उल्लेख है । (इसकी सत्यापित प्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 63** में संलग्न है) इस पर श्री योगेश सोनटेके एवं श्री जानकी प्रसाद शर्मा के हस्ताक्षर अंकित पाये गये । अतः 1224 फार्म के स्थान पर मात्र 280 फार्म भण्डार में शेष पाये जाने के कारण (1224–280) = 944 फार्म कम पाये गये।

(स) **वर्ष 2011 में 595 नग पुनर्गणना फार्म कम पाये गयेः–** वर्ष 2011 में आशीष स्टेशनरी मार्ट रायपुर से बिल कमांक 913 दिनांक 17.06.11 द्वारा 15500 पुनर्गणना फार्म तथा बिल कमांक 905 दिनांक 10.06.11 से 4500 पुनर्गणना फार्म कुल 20000 फार्म मुद्रण कराया जाना पाया गया । जिसे स्टॉक पंजी सीए–01 पृष्ठ कमांक 42 में इन्द्राज किया गया है । जिसमें विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (विकास) के हस्ताक्षर पाये गये है । वितरण पंजी के पृष्ठ कमांक 72 में प्राप्ति दर्ज किया जाकर बिल चस्पा किया गया है । जिसमें श्री जानकी प्रसाद शर्मा के हस्ताक्षर दिनांक 10.06.11 एवं 17.06.11 अंकित है । वितरण पंजी के पृष्ठ कमांक 73 से 74 दिनांक 10.06.11 से 10.04.12 तक एवं पृष्ठ कमांक 56 से 59 दिनांक 14.06.11 से 06.08.11 तक में कुल 992 फार्म विकय होना पाया गया । विभिन्न रसीदों की जमा राशि का मिलान किया गया । (पंजी में दर्ज 992 फार्म विकय तथा श्री रामखिलावन साहू को दिनांक – 10.06.11 को 500 नग फार्म एवं 20.06.11 को 1000 नग फार्म की राशि रसीद कमांक 32/3470 दिनांक 09.01.12 द्वारा राशि जमा सहित , इस प्रकार 992 + 500 +1000 = 2492 फार्म विकय होना एवं राशि जमा होना पाया गया ।) प्रारंभिक शेष 20000 में से 2492 फार्म विकय उपरांत 17508 फार्म भण्डार में शेष होने चाहियें । परन्तु वितरण पंजी में न तो योग लगाये गये है, न शेष निकाले गये है । प्रारंभिक जांच नस्ती के पृष्ठ कमांक 76 पर दिनांक 24.01.12 को श्री जानकी प्रसाद शर्मा निम्न वर्ग लिपिक की उपस्थिति में पुनर्गणना फार्म 16913 नग भण्डार में रखा जाने का उल्लेख पाया गया जिस पर श्री जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक, श्री योगेश सोनटेके, श्री शिवलोचन नेताम, श्री सी.जांगड़े एवं अन्य के हस्ताक्षर पाये गये । सुलभ संदर्भ हेतु पृष्ठ कमांक 27 की सत्यापित फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 46** पर संलग्न है । पुनर्गणना फार्म 20000 में से 2492 फार्म विकय उपरांत 17508 नग फार्म भण्डार में शेष होना चाहिये परन्तु 16913 नग पुनर्गणना फार्म भण्डार में शेष पाये जाने के कारण अंतर फार्म संख्या 595 नग पुनर्गणना फार्म भण्डार में कम पाये गये ।

उपरोक्त बिन्दु कमांक (अ) में दर्शित स्थिति अनुसार 1231 नग पुनर्गणना फार्म रद्दी में विकय संबंधी अभिलेख, बिन्दु कमांक (ब) में दर्शित 944 नग फार्म बिन्दु कमांक (स) में दर्शित 595 नग फार्म, इस प्रकार कुल 1539 नग पुनर्गणना फार्म की भण्डार में कमी पाई गई । इसके संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है ।

(5) 36 नग सम्बद्वता फार्म की भण्डार में कमी एवं स्टॉक पंजी अपूर्ण:–

प. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के विकास विभाग में संधारित संबद्वता फार्म वितरण की दो पंजी संपरीक्षा में प्रस्तुत की गयी । प्रथम वितरण पंजी पेज नंबर 12 से 15 दिनांक 10.06.08 से 09.09.09 तक । द्वितीय पंजी पेज नंबर 01 से 12 तक दिनांक 22.09.09 से 08.11.10 तक । वितरण पंजी परीक्षण में निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आए–

1. दोनो पंजी कार्यालय द्वारा प्रमाणित होना नही पाया गया ।
2. **10 नग संबद्वता फार्म की भण्डार में कमी (दिनांक 10.06.08 से 09.09.09 की स्थिति में)** – संबद्वता फार्म की प्रथम वितरण पंजी पृष्ठ कमांक 12 पर चस्पा नोटशीट में 100 नग संबद्वता आवेदन फार्म विकास विभाग के रेसोग्राफ मशीन से मुद्रण की स्वीकृति दिनांक 09.06.08 को कुल सचिव द्वारा प्रदान किया जाना पाया गया । परन्तु 100 नग फार्म के स्थान पर 104 नग फार्म की प्रतियां निकाला जाकर वितरण पंजी के पृष्ठ कमांक 12 पर दर्ज होना पाया गया । इस प्रविष्टि के समर्थन में किसी भी कर्मचारी / अधिकारी के हस्ताक्षर नही पाये गये । दिनांक 10.06.08 से 09.09.09 तक वितरण पंजी पृष्ठ कमांक 12 से 15 तक संबद्वता फार्म विक्रय की प्रविष्टि एवं समर्थन में रसीद बुक कमांक एवं दिनांक अंकित पाया गया । रसीदो से प्राप्त राशि का मिलान किया एवं सही पाया गया । कुल 94 नग संबद्वता फार्म प्रत्येक फार्म की कीमत रू. 150 की दर से 14100.00 विश्वविद्यालय निधि में जमा होना पाया गया । दिनांक 09.09.09 वितरण पंजी पृष्ठ कमांक 15 अनुसार रेसोग्राफ किये गये 104 फार्म में से 94 फार्म विक्रय उपरांत बचत फार्म संख्या 10 नग वितरण पंजी में दर्ज है । परन्तु भण्डार में शेष पाया गया अथवा नहीं, इसका सत्यापन होना नही पाया गया । इस बचत फार्म 10 नग को आगामी वितरण पंजी में हस्तांतरित किया जाना भी नही पाया गया । इस प्रकार 10 नग सम्बद्वता फार्म की भण्डार में कमी पायी गयी ।
3. **26 नग सम्बद्वता फार्म की भण्डार में कमी (दिनांक 22.09.09 से 08.11.10 की स्थिति में)** – विकास विभाग स्टॉक रजिस्टर सीए–01 के पृष्ठ कमांक 150 पर छ.ग. संवाद छोटापारा रायपुर के बिल कमांक 159 दिनांक 07.10.09 द्वारा मुद्रित 1000 नग संबद्वता फार्म की प्रविष्टि दर्ज पायी गयी । संबद्वता फार्म वितरण पंजी पृष्ठ कमांक 01 से 12 दिनांक 22.09.09 से 08.11.10 तक कुल 155 नग संबद्वता फार्म प्रत्येक फार्म 500 रू. की दर से विक्रय होना पाया गया । फार्म वितरण की प्रविष्टियां बेतरतीब पायी गयी, कमानुसार नही पायी गयी । वितरण पंजी में दर्ज विभिन्न जमा राशि का मिलान किया गया । इस प्रकार 1000 नग संबद्वता फार्म में से 155 नग वितरण उपरांत 845 नग फार्म भण्डार में शेष होना चाहिये । परन्तु वितरण पंजी के न तो योग लगाये गये हैं, न शेष निकाले गये है । इस अवधि में श्री जानकी प्रसाद शर्मा, नि.व.लि. द्वारा पंजी संधारण किया जाना पाया गया । पंजी के पृष्ठ कमांक 12 पर अंतिम प्रविष्टि उपरांत श्री जानकी प्रसाद शर्मा के हस्ताक्षर पाये गये । वितरण पंजी में संबद्वता फार्म के शेष नही निकाले जाने के कारण प्रारंभिक जांच के दौरान श्री जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक द्वारा पृथक से एक प्लेन पेज में भण्डार में शेष संबद्वता फार्म का विवरण कमांक सहित अंकित कर कुल 819 नग फार्म शेष अंकित कर हस्ताक्षर किया गया ।

इस पृष्ठ पर श्री जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक एवं श्री योगेश सोनटेके, के हस्ताक्षर पाये गये । यह पृष्ठ निरीक्षण जांच नस्ती के पृष्ठ कमांक 92 में संलग्न है । सुलभ संदर्भ हेतु सत्यापित फोटोकॉपी इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 64** पर संलग्न है ।

इस प्रकार 1000 नग संबद्वता फार्म के विरूद्व 155 नग वितरण उपरांत 845 नग फार्म भण्डार में शेष होना चाहिये । परन्तु निरीक्षण जांच के सत्यापन में श्री जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक द्वारा दिये गये विवरण अनुसार मात्र 819 नग फार्म शेष होना पाया गया । 845–819 = 26 नग फार्म भण्डार में कम पाया जाना प्रमाणित पाया गया ।

उपरोक्त बिन्दु कमांक (1) में दर्शित अनुसार पंजी का प्रमाणीकरण अपेक्षित है । बिन्दु कमांक (2) में दर्शित अनुसार 10 नग फार्म एवं बिन्दु कमांक (3) में दर्शित अनुसार 26 नग फार्म, इस प्रकार (10+26) = 36 नग सम्बद्वता फार्म की भण्डार में कमी पायी गयी । इसके संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है ।

(6) 1075 नग डिग्री फार्म की भण्डार में कमी एवं स्टॉक पंजी अपूर्ण :–

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के विकास विभाग में संधारित अंकेक्षण में प्रस्तुत डिग्री फार्म वितरण पंजी पृष्ठ कमांक 53 एवं 56 तक दिनांक 05.06.08 से 16.11.09 तक एवं द्वितीय वितरण पंजी पृष्ठ कमांक 36 से 40 दिनांक 23.11.09 से 30.08.11, पृष्ठ कमांक 30 से 31 दिनांक 09.09.11 से 10.04.12 तक का परीक्षण किया गया । जिसमें निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आये–

1. डिग्री फार्म की द्वितीय फार्म प्रदाय पंजी किसी भी अधिकारी द्वारा प्रमाणित नही पायी गयी । प्रमाणीकरण अपेक्षित है ।
2. डिग्री फार्म वितरण पंजी में दर्शित मुद्रित कॉलम के अनुसार प्रविष्टियां होना नही पाया गया । उदाहरण के तौर पर पंजी के प्रत्येक पृष्ठ में दो पक्ष है । प्रथम पक्ष में प्राप्त की गयी सामग्री का विवरण कॉलम कमांक 01 से 08 तक तथा द्वितीय पक्ष मे प्रदाय की गयी सामग्री का विवरण कॉलम कमांक 01 से 07 तक अंकित है परन्तु निर्धारित कॉलम अनुसार प्रविष्टि न की जाकर दोनों पक्षो मे सामग्री वितरण की प्रविष्टियां दर्शायी गयी है । न तो फार्म आवक की व्यवस्थित प्रविष्टि पायी गयी, न वितरण की प्रविष्टि व्यवस्थित पायी गयी । वितरण फार्म के योग भी नहीं लगाये गये हैं । बचत फार्म की संख्या भी विशेष संपरीक्षा अवधि के वर्ष 2008–09 से 2011–12 में निकाला जाना नही पाया गया ।

3. **1075 नग डिग्री फार्म की भण्डार में कमी** –दिनांक 05.06.08 से दिनांक 10.04.12 की अवधि में प्राप्त किये गये डिग्री फार्मो की प्रविष्टियां पूर्ण रूप से वितरण पंजी में दर्ज नही होने के कारण पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के मुद्रणालय विभाग द्वारा समय–समय पर विकास विभाग को प्रदाय किये गये डिग्री फार्म का परीक्षण मुद्रणालय की जावक पंजी से करने पर निम्नानुसार स्थिति प्रकाश में आई–

प.र.वि.वि. के मुद्रणालय का जावक पंजी पृष्ठ क्रमांक	दिनांक	विकास विभाग के स्टॉक/वितरण पंजी का पेज नंबर	मुद्रणालय से फार्म प्राप्तकर्ता कर्मचारी का नाम जिसका हस्ताक्षर पाया गया	डिग्रीफार्म का विवरण	डिग्रीफार्म की कुल संख्या
22	05.06.08	53	श्री योगेश सोनटेके	01 से 10000 तक	10000
33	16.01.09	54	श्री प्रदीप यादव	01 से 4400 तक	4400
35	05.05.09	55	हस्ताक्षर अस्पष्ट	4401 से 4466 = 66 4471 से 4800 = 330	396
36	15.05.09	55	हस्ताक्षर अस्पष्ट	4801 से 10000	5200
41	29.08.09	55	श्री जानकी प्रसाद शर्मा	01 से 5000 तक	5000
44	20.11.09	प्रविष्टि नहीं	श्री शिवलोचन नेताम	5001 से 10000 तक	5000
52	07.06.10	प्रविष्टि नहीं	श्री जानकी प्रसाद शर्मा	10001 से 12000	2000
53	23.06.10	प्रविष्टि नहीं	श्री जानकी प्रसाद शर्मा	12001 से 40000	28000
63	30.11.10	प्रविष्टि नहीं	श्री जानकी प्रसाद शर्मा	40001 से 50200	10200
69	01.06.11	प्रविष्टि नहीं	श्री योगेश सोनटेके	50201 से 70600	20400
				योग:–	**90596**

डिग्री फार्म वितरण पंजी में मात्र 24996 फार्म की प्राप्ति दर्शाया जाना पाया गया । जबकि मुद्रणालय विभाग से उपरोक्तानुसार 90596 फार्म प्रदाय किया गया था । इस प्रकार 90596 – 24996 = 65600 फार्म की प्राप्ति विकास विभाग के स्टॉक/ वितरण पंजी में नही दर्शाया गया है । दिनांक 05.06.08 से 10.04.12 तक कुल 59385 फार्म के वितरण होने की प्रविष्टि पायी गयी । जिसकी संबंधित राशि भी समय–समय पर वि.वि. निधि में जमा होना पाया गया । डिग्री फार्म (90596–59385) = 31211 फार्म भण्डार में अवशेष होना चाहिये । परन्तु उक्त अंतिम तिथि 10.04.12 को भण्डार में मात्र 30136 फार्म शेष का सत्यापन निरीक्षण जांच नस्ती के पृष्ठ क्रमांक 99 पर पाया गया। इसकी सत्यापित फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 65** पर संलग्न है । भण्डार में (31211–30136) = 1075 फार्म की कमी पायी गयी ।

विभागीय जांच प्रतिवेदन दिनांक 14.11.13 के बिन्दु कमांक 03 (6) में श्री जानकी प्रसाद शर्मा पर आरोप प्रमाणित पाया गया ।

उपरोक्त बिन्दु कमांक (1) में दर्शित अनुसार प्रमाणीकरण अपेक्षित है । बिन्दु कमांक (2) में दर्शित अनुसार निराकरण अपेक्षित है । बिन्दु कमांक (3) में दर्शित विवरण अनुसार 1075 नग डिग्री फार्म की भण्डार में कमी पाई गई, इसके संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है ।

(07) 222 नग माइग्रेशन फार्म की भण्डार में कमी एवं स्टॉक पंजी अपूर्ण :–

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के विकास विभाग में संधारित माइग्रेशन फार्म स्टॉक एवं वितरण की संयुक्त पंजी (प्रथम दिनांक 2003 से 2009 तक द्वितीय पंजी 2009 से 2017 तक) के परीक्षण में निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आये:–

1– द्वितीय पंजी (वर्ष 2009 से 2017) तक किसी भी अधिकारी द्वारा प्रमाणित नही पायी गयी ।
2– समय–समय पर प्राप्त माइग्रेशन फार्म की प्रविष्टि नहीं पायी गयी । वितरण पश्चात बचत आवेदन फार्मो की संख्या का उल्लेख नहीं पाया गया ।
3– पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के मुद्रणालय में संधारित जावक पंजी के परीक्षण से ज्ञात हुआ कि विशेष संपरीक्षा से संबंधित अवधि वर्ष 2008–09 से 2011–12 के दौरान निम्नानुसार माइग्रेशन फार्म विकास विभाग को प्रदाय किया जाना पाया गया ।

मुद्रणालय की जावक पंजी का पेज नंबर	प्रदाय दिनांक	माइग्रेशन फार्म कमांक	माइग्रेशन फार्म संख्या	विकास विभाग के प्राप्तकर्ता कर्मचारी के हस्ताक्षर
22	05.06.08	1 से 6000	6000	श्री योगेश सोनटके, सहायक ग्रेड–1
41	29.08.09	1 से 5000	5000	श्री जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक
42	26.10.09	5001 से 10000	5000	श्री जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक
58	02.09.10	01 से 200	200	श्री जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक
58	03.09.10	201 से 1000	800	अस्पष्ट
60	08.10.10	1001 से 10000	9000	श्री जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक
68	11.05.11	10001 से 30000	20000	श्री शिवलोचन नेताम, कनिष्ठ अधीक्षक
		योगः–	**46000**	

सुलभ संदर्भ हेतु मुद्रणालय की जावक पंजी के पेज नंबर 22,41,42,58,60 एवं 68 की सत्यापित फोटोकॉपी इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 66 से 71** तक (12 पृष्ठ) संलग्न है ।

4– उपरोक्तानुसार मुद्रणालय द्वारा कुल 46000 माइग्रेशन फार्म विकास विभाग को प्रदाय किया जाना पाया गया, परन्तु विकास विभाग के स्टॉक पंजी पृष्ठ कमांक 80 दिनांक 05.06.2008 को मात्र 6000 फार्म की प्रविष्टि पायी गयी । 40000 फार्म की आवक प्रविष्टि होना नही पाया गया जो कि एक गंभीर

अनियमितता है । जिसके लिये फार्म प्रदायकर्ता कर्मचारी श्री जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक के साथ–साथ विकास विभाग के विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी श्री डी.पी.कुइटी, श्री निनान बोधनकर, डॉ. ए.के.पाण्डेय एवं श्री अब्दुल वहाब सहायक कुल सचिव भी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उपरोक्त समस्त अधिकारी इसलिये उत्तरदायी है क्योंकि उनके द्वारा लगातार चार वर्षो में एक बार भी मुद्रित प्रपत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना नही पाया गया ।

5– स्टॉक पंजी में दर्ज माइग्रेशन फार्म प्रदाय प्रविष्टियो के योग करने पर ज्ञात हुआ कि दिनांक– 05.06.08 से 22.02.2012 तक प्रथम स्टॉक पंजी पृष्ठ क्रमांक 80, 81 द्वितीय स्टॉक पंजी पृष्ठ क्रमांक 41 से 45 तक कुल 31,778 फार्म वितरित होना पाये गये । इस प्रकार कुल प्राप्त 46000 फार्म के विरूद्व 31,778 फार्म वितरण होने के उपरांत (46000–31778) 14,222 माइग्रेशन फार्म भण्डार में शेष होना चाहिये । परन्तु स्टॉक पंजी में न तो योग लगाये गये हैं, न शेष निकाला गया है । पृथक से जांच नस्ती के नोटशीट पृष्ठ क्रमांक 118 के पृष्ठ भाग पर दिनांक 16.03.2012 की स्थिति में माइग्रेशन फार्म 14000 नग भण्डार में शेष होने का उल्लेख श्री जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक द्वारा किया जाना पाया गया । नोटशीट के पृष्ठ की सत्यापित प्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ क्रमांक 72 एवं 73** पर संलग्न है ।

भण्डार में वास्तविक रूप से दिनांक 16.03.2012 की स्थिति में 14,222 माइग्रेशन फार्म शेष होना चाहिये परन्तु उपरोक्त उल्लेखित नोटशीट अनुसार मात्र 14000 फार्म शेष दर्शाया गया है । इस प्रकार 222 फार्म भण्डार में कम पाये गये ।

उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (1) से (4) तक में दर्शित अपूर्णता की पूर्ति अपेक्षित है । बिन्दु क्रमांक (5) में दर्शित विवरण अनुसार 222 नग माइग्रेशन फार्म की कमी पाई गई, इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है ।

(08) 192 नग पात्रता फार्म की भण्डार में कमी एवं स्टॉक पंजी अपूर्ण :–

(1) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के विकास विभाग में संधारित पात्रता फार्म स्टॉक पंजी पृष्ठ क्रमांक 72 दिनांक 27.09.08 पर अंतिम शेष निरंक पाया गया । मुद्रणालय से दिनांक 06.09.08 को पात्रता फार्म 10000 दिनांक 29.08.09 को पात्रता फार्म 10000 एवं दिनांक 11.05.11 को पात्रता फार्म 10000, इस प्रकार वर्ष 2008–09 से 2010–11 की अवधि में कुल 30000 फार्म विकास विभाग को प्राप्त होना पाया गया । प्रथम दो प्रविष्टियां स्टॉक पंजी (पृष्ठ क्रमांक 73,74) में पायी गयी। तीसरी प्रविष्टि का उल्लेख पात्रता फार्म स्टॉक पंजी में नहीं पाया गया । पात्रता फार्म स्टॉक पंजी पृष्ठ क्रमांक 73 एवं 74 दिनांक 14.05.09 से 11.11.09 तक एवं द्वितीय पात्रता फार्म पंजी पृष्ठ क्रमांक 51 से 53 दिनांक 22.11.2009 से 14.02.2012 तक कुल 19,203 फार्म वितरित होना पाया गया। इसके अतिरिक्त प्रारंभिक जांच नस्ती के पृष्ठ क्रमांक 116 पर पात्रता फार्म के विक्रय का ऐसा विवरण भी दर्ज है जिसकी प्रविष्टि पात्रता फार्म स्टॉक पंजी में दर्ज नहीं पायी गयी । पात्रता फार्म स्टॉक पंजी में दर्ज नही पायी गयी ऐसे फार्म की संख्या 2301 है । सुलभ संदर्भ हेतु निरीक्षण जांच नस्ती के पृष्ठ क्रमांक 116 की सत्यापित फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ क्रमांक 74** पर अवलोकनार्थ संलग्न है। इस प्रकार 19,203 + 2301 = 21,504 फार्म वर्ष 2008–09 से 2011–12 के दौरान वितरित होना पाया गया । समय–समय पर उनकी जमा राशि का मिलान किया गया ।

(2) 192 नग पात्रता फार्म की भण्डार में कमी – पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के मुद्रणालय विभाग से प्राप्त कुल फार्म 30,000 के विरूद्व 04 वर्षो में 21,504 फार्म वितरित होना पाया गया । अंतर पात्रता फार्म 8496 भण्डार में उपलब्ध होना चाहिये था परन्तु वितरण पंजी में शेष नही निकाले गये हैं । इसलिये निरीक्षण जांच नस्ती के पृष्ठ कमांक 117 (सत्यापित फोटोप्रति **पृष्ठ कमांक 75** पर संलग्न है), अनुसार 8304 भण्डार में बचत होने का प्रमाण अंकित है । इस प्रकार (8496–8304) = 192 फार्म भण्डार में कम पाये गये । विभागीय जांच दिनांक 14.11.13 के पृष्ठ कमांक 18 पर भी 191 नग पात्रता फार्म की कमी पायी गयी ।

उपरोक्त बिन्दु कमांक (1) में दर्शित अनुसार स्टॉक प्रविष्टि किया जाना अपेक्षित है । बिन्दु कमांक (2) में दर्शित अनुसार 192 नग पात्रता फार्म की भण्डार में कमी पाई गई, इसके संबंध में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है ।

(09) 01 नग शोध छात्रवृत्ति फार्म की भण्डार में कमी एवं स्टॉक पंजी अपूर्ण :–

(1) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के विकास विभाग में संधारित शोध छात्रवृत्ति फार्म वितरण पंजी पृष्ठ कमांक 01 पर विश्वविद्यालय मुद्रणालय से छात्रवृत्ति आवेदन फार्म कुल 305 नग दिनांक 14.10.05 को प्राप्त होना अंकित है । पंजी प्रमाणित होना नही पाया गया । किसी अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं पाये गये । प्रदाय फार्म एवं वापसी फार्म की प्रविष्टियों में अत्यधिक कांट–छांट होने के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है । निरीक्षण जांच के समय जब रसीद पुस्तकों से प्राप्त फार्म की राशि का मिलान हुआ तब श्री जानकी प्रसाद शर्मा द्वारा पृथक से नोटशीट पृष्ठ कमांक 124 (03) पर दिनांक 21.03.12 को लिखित में स्वीकार किया गया कि फार्म समाप्त हो गया था । 293 नग फार्म फोटोकॉपी कराया गया परन्तु अज्ञानतावश फोटोकॉपी कराने की अनुमति नही लिया गया । प्रमाण हेतु नोटशीट पृष्ठ कमांक 124 (03) की सत्यापित फोटोकॉपी इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 76** पर संलग्न है ।

(2) शोध छात्रवृत्ति फार्म का पृथक से एक पृष्ठ पर लेखा श्री जानकी प्रसाद शर्मा द्वारा दिनांक 16.03.12 को प्रस्तुत किया जाना पाया गया जिसमें विकास विभाग के 02 अन्य कर्मचारी श्री शिवलोचन नेताम (कनिष्ट अधीक्षक) एवं श्री योगेश सोनटेके, प्रथम श्रेणी लिपिक के हस्ताक्षर पाये गये । जो कि निरीक्षण नस्ती के पृष्ठ कमांक 121 पर संलग्न है । इसकी सत्यापित फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 77** पर अवलोकनार्थ संलग्न है ।

(3) फोटोकॉपी किये गये 293 फार्मो में से 228 फार्म विक्रय होने के पश्चात शेष फार्म 65 नग स्टॉक में बचत होने चाहिए परन्तु दिये गये विवरण में बचत फार्म मात्र 64 नग अंकित पाये गये । इस प्रकार 01 नग शोध छात्रवृत्ति फार्म भण्डार में कम पाया गया । विीागीय जांच दिनांक – 14.11.13 के बिन्दु कमांक 03 (09) में भी 01 नग फार्म की कमी होना प्रमाणित पाया गया ।

उपरोक्त बिन्दु कमांक (1) एवं (2) में दर्शित कमियों एवं बिन्दु कमांक (3) में दर्शित विवरण अनुसार 01 नग शोध छात्रवृत्ति फार्म की भण्डार में कमी के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन का निर्णय अपेक्षित है ।

(10) 05 नग डी.लिट/डी.एस.सी.फार्म की भण्डार में कमी एवं स्टॉक पंजी अपूर्ण :–

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के विकास विभाग में संधारित डी.लिट/डी. एस.सी.फार्म स्टॉक पंजी पृष्ठ क्रमांक 44 दिनांक 28.11.05 को वि.वि. मुद्रणालय से प्राप्त आवेदन फार्म 101 नग की प्रविष्टि पायी गयी । पंजी सत्यापित नहीं । पंजी पर किसी अधिकारी/कर्मचारी का हस्ताक्षर नही पाया गया । भौतिक सत्यापन समय–समय पर होना नहीं पाया गया ।

डी.लिट./डी.एस.सी.फार्म वितरण पंजी पृष्ठ क्रमांक 44 एवं 45 दिनांक 04.05.06 से 13.02.12 तक कुल 34 फार्म विक्रय होना पाया गया । इस प्रकार (101–34) 67 फार्म अवशेष होना चाहियें । परन्तु पंजी में अवशेष फार्म की स्थिति दर्ज होना नही पायी गयी । लेकिन निरीक्षण जांच प्रतिवेदन के पृष्ठ क्रमांक 130 पर दिनांक 16.03.12 की स्थिति में 62 नग फार्म अंतिम स्टॉक के रूप में पाया गया जिसके प्रमाणीकरण में श्री शिवलोचन नेताम (कनिष्ट अधीक्षक) श्री जानकी प्रसाद शर्मा, नि.व.लि., श्री योगेश सोनटेके, प्रथम श्रेणी लिपिक के हस्ताक्षर पाये गये । इस प्रमाणीकरण की फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ क्रमांक 78** पर अवलोकनार्थ संलग्न है । अवशेष फार्म 67–62 = 05 नग फार्म स्टॉक में कम होना पाया गया । विभागीय जांच प्रतिवेदन दिनांक 14.11.2013 के पृष्ठ क्रमांक 19 बिन्दु क्रमांक 03 (10) डी.लिट./डी.एस.सी.फार्म से संबंधित कम पाये गये फार्म 05 नग प्रतिवेदन के पृष्ठ क्रमांक 19 पर प्रमाणित सिद्व होने का उल्लेख पाया गया । (विभागीय जांच प्रतिवेदन की सत्यापित फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के पृष्ठ क्रमांक 01 से 31 पर अवलोकनार्थ संलग्न है)

अतः उपरोक्त विवरण अनुसार स्टॉक पंजी पूर्ण किया जाना अपेक्षित एवं 05 नग डी. लिट/डी.एस.सी. फार्म की भण्डार में कमी के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है ।

(11) शिक्षक भर्ती आवेदन फार्म– वसूली निरंकः–

अंकेक्षण प्रतिवेदन 2009–10 की कण्डिका क्रमांक 04 के अंतर्गत शिक्षक भर्ती आवेदन फार्म की वसूली योग्य राशि निरंक अंकित है । अतः विशेष संपरीक्षा में पुनः परीक्षण नही किया गया ।

(12) 79 नग पी.एच.डी.फार्म की भण्डार में कमी एवं स्टॉक पंजी अपूर्ण :–

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के विकास विभाग में संधारित पी.एच.डी. फार्म के स्टॉक एवं वितरण पंजी के परीक्षण में निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आएः–

1– पी.एच.डी. फार्म वितरण पंजी क्रमांक 09 पृष्ठ क्रमांक 71 से 79 तक दिनांक 01.07.08 से 17.09. 09 तक कुल 501 फार्म वितरित होना तथा विभिन्न रसीदों से आय जमा होने का उल्लेख पंजी में पाया गया । इस अवधि में प्रत्येक फार्म का मूल्य 150 रू. पंजी में अंकित है । पंजी पर किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं पाये गये ।

25

2– पी.एच.डी. फार्म वितरण पंजी कमांक 10 पृष्ठ कमांक 01 से 57 तक दिनांक 20.08.10 से 30.09.10 तक किसी अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर नही पाये गये । पृष्ठ कमांक 58 पर श्री जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक का हस्ताक्षर है एवं उनके द्वारा शेष फार्म निरंक लिखा गया है ।

3– पी.एच.डी.फार्म पंजी में प्रारंभिक शेष का उल्लेख नहीं पाया गया । विभागीय जांच के दौरान विश्वविद्यालय मुद्रणालय से ली गयी जानकारी के अनुसार उनके द्वारा कुल 3093 फार्म विकास विभाग को उपलब्ध कराया जाना बताया गया । जिसका विवरण नोटशीट पृष्ठ कमांक 141 (1), 142 (2) में पाया गया । सुलभ संदर्भ हेतु नोटशीट की सत्यापित फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 79 से 80 पर** संलग्न है ।

4– श्री जानकी प्रसाद शर्मा , निम्न वर्ग लिपिक से पंजी कमांक 10 पृष्ठ कमांक 1 से 58 तक कुल पी.एच.डी. फार्म 3014 वितरण के पश्चात अंतिम शेष की जानकारी विभाग द्वारा विभागीय जांच में मांगी गयी । श्री शर्मा ने नोटशीट पृष्ठ कमांक 141 (7) पर "भण्डार में शेष नहीं है" लिखा । इस नोटशीट के पृष्ठ कमांक 140 (1), 140 (2), 141 (7) की सत्यापित फोटोप्रति अवलोकन हेतु इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 81 से 83 तक** संलग्न है ।

उपरोक्त बिन्दु कमांक 03 अनुसार विश्वविद्यालय मुद्रणालय द्वारा नम्बरिंग करके पी.एच.डी.फार्म कुल 3093 विकास विभाग को प्रदाय किया गया । उपरोक्त बिन्दु कमांक 04 में उल्लेखित अनुसार कुल 3014 फार्म वितरित होना पाया गया । इस प्रकार 3093–3014 = 79 फार्म न तो वितरण पाया गया न स्टॉक में शेष पाया गया । विभागीय जांच प्रतिवेदन दिनांक 14.11.13 के पृष्ठ कमांक 19 पर आरोप बिन्दु कमांक 03 (12) पी.एच.डी.फार्म से संबंधित आरोप का यह बिन्दु भी प्रमाणित सिद्व होने संबंधी उल्लेख पाया गया ।

अतः उपरोक्त बिन्दु कमाक (1) से (3) तक दर्शित विवरण अनुसार स्टॉक पंजी में प्रविष्टि एवं सत्यापन अपेक्षित तथा बिन्दु कमांक (4) में दर्शित 79 नग पी.एच.डी. फार्म की भण्डार में पाई गई कमी के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन का निर्णय अपेक्षित है ।

(13) 9544 नग नामांकन फार्म की भण्डार में कमी एवं स्टॉक पंजी अपूर्ण :–

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के विकास विभाग में संधारित नामांकन फार्म पंजी वर्ष 2008–09 से 2011–12 दिनांक 13.06.08 से 30.12.11 तक पृष्ठ कमांक 50 से 132 में प्रदाय किये गये नामांकन फार्म वितरण पंजी के परीक्षण में निम्नांकित तथ्य पाये गये:–

1. नामांकन फार्म वितरण पंजी विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित होना नही पाया गया ।
2. नामांकन फार्म विश्वविद्यालय मुद्रणालय से प्राप्ति पश्चात स्टॉक पंजी में प्रविष्टि किया जाना नही पाया गया ।
3. वितरण पंजी में अत्यधिक कांट–छांट होना एवं पुनर्लेख्य पाया गया ।

4. नामांकन आवेदन फार्म वितरण के समय फार्म पर अंकित कमांक के कमानुसार वितरण होना नही पाया गया ।

5. नामांकन आवेदन फार्म वर्ष 2007–08 के वितरण पंजी पृष्ठ कमांक 48 पर विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (विकास) द्वारा लेखा जांच करने संबंधी टीप अंकित है । जिसमें नामांकन आवेदन फार्म भण्डार में शेष संख्या 182 नग अंकित करते हुए आगामी सत्र 2008–09 में विकय हेतु ले जाया जाना दर्शाया गया है । इस 182 नग नामांकन आवेदन फार्म को वितरण पंजी के पृष्ठ कमांक 50 पर पिछला शेष के रूप में पेंसिल से अंकित होना पाया गया । इसके पश्चात् वर्ष 2008–09, 09–10, 10–11 एवं 11–12 में व्यवस्थित रूप से नामांकन आवेदन फार्म प्राप्ति की प्रविष्टि नही की गयी है । ना तो वितरण पंजी में वितरण फार्म के योग लगाये गये हैं, और ना ही शेष निकाला गया है । नामांकन फार्म विश्वविद्यालय के मुद्रणालय से विकास विभाग को प्रदाय किया जाना पाया गया । मुद्रणालय की जावक पंजी में निम्नानुसार प्रविष्टियां पायी गयी:–

मुद्रणालय जावक पंजी कमांक	दिनांक	नामांकन फार्म वितरण पंजी में दर्ज पृष्ठ कमांक	फार्म प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर एवं नाम	मुद्रणालय से प्रदाय फार्म का विवरण	कुल फार्म की संख्या
1	2	3	4	5	6
–	–	50	–	पूर्व वर्ष 07–08 का शेष	182
24	15.07.08	50	श्री योगेश सोनटेके	001 से 21000	21000
25	15.07.08	50	हस्ताक्षर अस्पष्ट	विवरण अंकित नहीं	5000
27	23.09.08	50	श्री उपेन्द्र यादव, भृत्य	कोरा पेपर 3000 नग (टीप– रेक्टर के आदेश से 2000 नग मुद्रण कराया गया)	2000
39	25.06.09	प्रविष्टि नहीं	श्री प्रदीप यादव, दैनिक वेतनभोगी	001 से 22000	22000
40	08.07.09	प्रविष्टि नहीं	श्री अरूण झा	22001 से 41000	19000
42	31.08.09	प्रविष्टि नहीं	श्री जानकी प्रसाद शर्मा	41001 से 41700	700
42	01.09.09	प्रविष्टि नहीं	श्री जानकी प्रसाद शर्मा	41701 से 45000	3300
42	08.09.09	प्रविष्टि नहीं	श्री शिवलोचन नेताम	45001 से 52500	7500
53	23.06.10	प्रविष्टि नहीं	श्री जानकी प्रसाद शर्मा	0001 से 50000	50000
70	15.07.11 से 19.07.11 तक	प्रविष्टि नहीं	श्री जानकी प्रसाद शर्मा	901 से 9600	8700

–	–	स्वास्तिक प्रिंटरी रायपुर का डिलवरी चालान 811, दिनांक 26.07.11 पेज नंबर 112	श्री जानकी प्रसाद शर्मा	–	50000
–	–	स्वास्तिक प्रिंटरी रायपुर का डिलवरी चालान 872, दिनांक 05.09.11 पेज नंबर 112	श्री जानकी प्रसाद शर्मा	–	30000
				कुल नामांकन फार्म की संख्या	**219382**

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के लेखावर्ष 2009–10 की कण्डिका कमांक 4 (अ) के सरल कमांक 13 – नामांकन फार्म की मुद्रण संख्या 219382 अंकित की गयी है जो कि उपरोक्त विवरण अनुसार सही पाया गया ।

6. नामांकन फार्म वितरण पंजी पृष्ठ कमांक 50 से 132 दिनांक 13.06.08 से 30.12.11 तक एवं प्रारंभिक निरीक्षण नस्ती में पायी गयी प्रविष्टियों की रसीद पन्नों से मिलान करने के उपरांत कुल 180682 नामांकन आवेदन फार्म वितरण/विक्रय होना पाया गया । संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	नामांकन फार्म वितरण/विक्रय की संख्या
2008–09	26099
2009–10	49001
2010–11	51409
1011–12	54173
कुल वितरण/विक्रय फार्म की संख्या	**180682**

(7) उपरोक्तानुसार नामांकन फार्म संख्या 180682 का वितरण/विक्रय होना अभिलेखों में पाया गया । जबकि कुल मुद्रण फार्म की संख्या 219382 है । मुद्रित फार्म 219382 में से वितरण फार्म 180682 घटाने के उपरांत 38700 फार्म भण्डार में शेष होना चाहिये । जबकि निरीक्षण जांच नस्ती अनुसार मात्र 29156 फार्म शेष होने का विवरण निम्नानुसार पाया गया ।

प्रारंभिक निरीक्षण जांच नस्ती में नामांकन फार्म भण्डार में शेष दिनांक 24.01.12 को पेज कमांक 148,196,197 के अनुसार भण्डार में शेष फार्म 29156 होना प्रमाणित किया गया है । प्रतिवेदन के इन पृष्ठों की सत्यापित फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 84 से 86** पर संलग्न है ।

(8) नामांकन फार्म भण्डार में शेष होना चाहिये 38700 नग परन्तु मात्र 29156 नग शेष प्रमाणित पाया गया । इस प्रकार 38700 – 29156 = 9544 नामांकन फार्म भण्डार में कम होना प्रदर्शित हुआ ।

उपरोक्त बिन्दु कमांक (1) से (7) तक दर्शित स्थिति अनुसार स्टॉक पंजी पूर्ण एव सत्यापित किया जाना अपेक्षित है । बिन्दु कमांक (8) अनुसार 9544 नग नामांकन फार्म की भण्डार में कमी के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन का निर्णय अपेक्षित है ।

(14) 23892 नग परीक्षा फार्म की भण्डार में कमी एवं स्टॉक पंजी अपूर्ण :–

(अ) वर्ष 2008–09 से संबंधित परीक्षा आवेदन फार्म वर्ष 09–10 में स्थानांतरित किया जाना –

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के विकास विभाग में संधारित वर्ष 2008–09 के परीक्षा आवेदन फार्म महाविद्यालयों को वितरण करने संबंधी अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण में ज्ञात हुआ कि स्टॉक एवं वितरण पंजी में वर्ष 2007–08 के अंतिम शेष नही निकाले गये थे । पृथक से निरीक्षण जांच नस्ती के पृष्ट कमांक 56 (सत्यापित फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 87** पर संलग्न है।) पर वर्ष 2007–08 का अंतिम शेष आवेदन फार्म रद्दी में विकय होने के कारण शेष निरंक अंकित पाया गया । इस नोटशीट पर श्री शिवलोचन नेताम एवं श्री योगेश सोनटेके के हस्ताक्षर दिनांक 14.03.12 को पाये गये । इसके अतिरिक्त निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आये–

1. वर्ष 2008–09 का परीक्षा आवेदन फार्म वितरण पंजी विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापित होना नही पाया गया ।
2. वितरण पंजी पृष्ठ कमांक 5 से 327 में पृथक–पृथक पृष्ठों में पृथक–पृथक महाविद्यालयों के नाम दर्ज किया जाकर परीक्षा आवेदन फार्म प्रदाय किया जाना पाया गया । इस पंजी में ना तो योग लगाये गये हैं, ना शेष निकाले गये हैं । पंजी की प्रविष्टियों में अत्यधिक कांट–छांट एवं पुनर्लेख्य होना पाया गया ।
3. परीक्षा आवेदन फार्म का प्रदायगी आदेश मुद्रित पत्र में नियमित परीक्षा आवेदन फार्म तथा अमहाविद्यालयीन / पूरक परीक्षा आवेदन फार्म 25 रू. प्रतिफार्म की दर से विकय किये जाने का उल्लेख है । इस पत्र की विशेष टीप कमांक 03 में उल्लेख है कि अमहाविद्यालयीन / पूरक फार्म विकय हेतु महाविद्यालय को प्रति फार्म रू. 1.00 दिये जायेंगे । टीप कमांक 04 में उल्लेख है कि नियमित छात्रों के आवेदन फार्म विकय पर कोई राशि नही दी जाएगी । टीप

कमांक 07 में उल्लेख है कि आवेदन फार्म की विक्रय राशि परीक्षा प्रारंभ होने के तत्काल बाद विश्वविद्यालय को अथवा कुल सचिव पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के नाम बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजें । 10 दिन के भीतर विक्रय किये गये परीक्षा आवेदन फार्म का लेखा जोखा वि.वि. में अनिवार्य रूप से भेजें । परन्तु परीक्षण में पाया गया कि महाविद्यालयों को उधारी में जारी किये गये फार्मो का लेखा जोखा बहुत विलंब से और अधिकांश नगद में जमा होना पाया गया । वापसी फार्मो की कम संख्या का उल्लेख पंजी में होना नही पाया गया । इसके कारण फार्मो की संख्या में गड़बड़ी संभव हुई। उदाहरणस्वरूप महाविद्यालयों को परीक्षा आवेदन फार्म प्रदाय करने संबंधी पत्र की सत्यापित फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 88** पर अवलोकनार्थ संलग्न है ।

4. वर्ष 2008–09 में विकास विभाग के स्टॉक रजिस्टर कमांक सी.ए.01 के पृष्ठ कमांक 20 पर छ.ग. संवाद रायपुर के बिल कमांक 762 दिनांक 08.10.08 एवं बिल कमांक 858 दिनांक 14.01.09 द्वारा मुद्रित परीक्षा फार्म एवं वि.वि. प्रेस से प्राप्त परीक्षा फार्म की जानकारी निम्नानुसार पायी गयी –

परीक्षा फार्म का विवरण	परीक्षा फार्म की संख्या
नियमित परीक्षार्थियों के लिये परीक्षा फार्म (सरल कमांक अंकित नहीं पाया गया)	89900
अमहाविद्यालयीन परीक्षार्थियों के लिये परीक्षा फार्म (सरल कमांक अंकित नहीं पाया गया)	99887
दिनांक 12.11.08 को वि.वि.प्रेस से प्राप्त फार्म (कमांक 90001 से 100000 तक) (वि.वि.प्रेस जावक सामग्री पंजी पृष्ठ कमांक 30 दिनांक 12.11.08 प्राप्तकर्ता के कॉलम में श्री योगेश सोनटेके का हस्ताक्षर है)	10000
योगः–	**199787**

उपरोक्तानुसार परीक्षा आवेदन फार्म स्टॉक पंजी में दर्ज होना पाया गया । फार्म वितरण हेतु पृथक से वितरण पंजी संधारित पाया गया । जिसमें मात्र वितरण प्रविष्टियां दर्ज है । परन्तु प्राप्त फार्मो की संख्या दर्ज नहीं पाई गई । वितरण के ना तो योग लगाये गये हैं, ना ही अंतिम शेष निकाले गये हैं । कतिपय स्थानो पर रसीदो का कमांक एवं जमा राशि दर्ज पाई गई ।

5. परीक्षा फार्म वितरण पंजी पृष्ठ कमांक 05 से 327 तक (महाविद्यालयों, अध्ययन शालाओं, स्वागत कक्ष एवं अन्य वितरण सहित) में दर्ज प्रविष्टियों एवं बिना प्रविष्टि के भी विक्रय परीक्षा आवेदन फार्म विक्रय से संबंधित निरीक्षण जांच में प्रस्तुत समस्त रसीद के डुप्लीकेट पृष्ठों के आधार पर कुल 186988 परीक्षा आवेदन फार्म का वितरण होना पाया गया । इस प्रकार प्राप्त

आवेदन फार्म 199787 – 186988 = 12799 फार्म भण्डार में शेष होना चाहिये । परन्तु वितरण पंजी में ना तो योग लगाये गये हैं, ना ही शेष निकाले गये हैं । निरीक्षण जांच नस्ती के पृष्ठ क्रमांक 63 की नोटशीट में कनिष्ठ अधीक्षक (विकास) द्वारा श्री नेताम / श्री जानकी प्रसाद शर्मा से यह पूछा गया कि क्या वर्ष 2008–09 का रद्दी में विक्रय किया गया, तो उसकी संख्या स्पष्ट करें । (सत्यापित फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ क्रमांक 89** पर संलग्न है) । नोटशीट के पृष्ठ भाग में श्री जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक द्वारा यह टीप अंकित की गयी कि पुराने परीक्षा फार्म एवं सत्र 2009–10 के पूर्व के शेष बचत फार्म अनुपयोगी होने के कारण रद्दी के रूप में विक्रय किये जाने की अनुमति ली गयी । इस नोटशीट पर श्री जानकी प्रसाद शर्मा का हस्ताक्षर दिनांक 05.04.12 अंकित पाया गया । (सत्यापित फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ क्रमांक 90** पर संलग्न है) । पुनः नोटशीट पृष्ठ क्रमांक 64 पर श्री जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक द्वारा यह टीप अंकित किया गया कि वह अगस्त 2009 में इस विभाग में आया तथा **"वर्ष 2009–10 के फार्म विकास विभाग को प्राप्त हुआ जो भी शेष बचत फार्म था उक्त पुराना फार्म बंद कर नया फार्म वितरण महाविद्यालय को किया गया"** । साथ ही यह भी लिखा गया कि **"सत्र 2009–10 में फार्म के दर की वृद्वि की गयी । पूर्व में 25 रू. फार्म का दर था । प्रारूप हेतु पुराना फार्म दिया गया था । जिसमें प्रिंट 25 रू. को कार्य परिषद के बैठक दिनांक 11.09.09 पूरक विषय क्रमांक 01 के निर्णय के परिपालन में नया फार्म में 50 रू. का सील लगाकर महाविद्यालय को वितरित किया गया"** । (नोटशीट की सत्यापित फोटोप्रति **पृष्ठ क्रमांक 91 से 93** पर संलग्न है)

उपरोक्त विवरण से यह भ्रम पैदा होता है कि वर्ष 2008–09 के बचत फार्म संख्या 12799 रद्दी में बेच दिये गये होंगे । वर्ष 2009–10 में विक्रय नही किये गये होंगे । लेकिन जब विश्वविद्यालय द्वारा ही निरीक्षण जांच में वर्ष 2009–10 की परीक्षा फार्म वितरण एवं आवक की गणना करने पर यह पाया कि जब वर्ष 2009–10 में कुल 249750 फार्म ही मुद्रित हो कर प्राप्त हुए थे । तथा वितरण परीक्षा फार्म 235985 होने के उपरांत भण्डार में बचत के रूप में भी परीक्षा आवेदन फार्म 14521 नग शेष पाये जाने के कारण यह स्थिति बनती है । (235985 + 14521 = 250506) जब मात्र 249750 फार्म ही मुद्रित हुए थे तब वितरण एवं बचत 250506 होने के कारण (249750 – 250506 = –756) 756 नग फार्म वर्ष 2008–09 की पुरानी बचत शेष फार्म का उपयोग वर्ष 2009–10 के वितरण में किया जाना निरीक्षण जांच में प्रमाणित हुआ । प्रमाण स्वरूप विश्वविद्यालय द्वारा की गयी प्रारंभिक निरीक्षण जांच नस्ती वर्ष 2008–09 के पृष्ठ क्रमांक 63 के पूर्व संलग्न विवरण – "रद्दी विक्रय नही होने की पुष्टि" के विवरण से स्पष्ट है जिस पर श्री जीवन सिरदार कनिष्ठ अधीक्षक (विकास) का हस्ताक्षर एवं दिनांक 19.04.2012 अंकित है । इसकी सत्यापित फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ क्रमांक 94** पर संलग्न है ।

(31)

अतः पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर वर्ष 2009–10 की कण्डिका क्रमांक 4 (अ) के सरल क्रमांक 14 पर अंकित परीक्षा आवेदन फार्म 2008–09 की भण्डार में बचत परीक्षा आवेदन फार्म संख्या 12799 नग को उपरोक्त विवरण के आधार पर आगामी वर्ष 2009–10 में स्थानांतरित होना निरीक्षण जांच नस्ती वर्ष 2008–09 के पृष्ठ क्रमांक 63 के साथ संलग्न विवरण के आधार पर प्रमाणित होना पाया गया ।

अभिलेख पूर्ण करने एवं विभागीय जांच में प्रमाणित एवं भौतिक सत्यापन में उपलब्ध परीक्षा आवेदन पत्रों की प्रविष्टियां अवशेष परीक्षा फार्म के रूप में संबंधित वितरण पंजी में दर्ज करने एवं प्रमाणित करने हेतु अंकेक्षण के दौरान पत्र क्रमांक/आर.जी./133 दिनांक 11.10.17 कार्यालय उपसंचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा रायपुर का पत्र क्रमांक/डी.डी.एल.ए.आर./प्रति–2/2551 दिनांक 31.10.17 एवं संचालनालय स्थानीय निधिसंपरीक्षा रायपुर का पत्र क्रमांक/एल.एफ.ए./प्रति./वि.सं./2017/1116–1117 नया रायपुर दिनांक 06.11.17 कुल सचिव, पं.र.श.शुक्ल वि.वि. रायपुर की ओर प्रसारित किया गया परन्तु संपरीक्षा समाप्ति तक वितरण पंजी न तो पूर्ण किये गये, ना ही उनमें बचत फार्मो की संख्या का उल्लेख पाया गया ।

अतः उपरोक्त विवरण के आधार पर स्टॉक पंजी, वितरण पंजी एवं फार्म विक्रय से प्राप्त आय का विस्तृत विवरण तथा स्वागत कक्ष से विक्रय फार्म प्रदायगी एवं वापसी जमा तथा प्राप्त आय का विस्तृत विवरण एवं लेखा जिसमें परीक्षा फार्म का सरल क्रमांक अंकित किया जाकर अभिलेख पूर्ण किया जाकर अंकेक्षण को अवगत कराया जाना अपेक्षित है ।

(ब) वर्ष 2009–10 में 9632 नग परीक्षा आवेदन फार्म की भण्डार में कमी एंव स्टॉक पंजी अपूर्णः–

1– विकास विभाग के स्टॉक पंजी सी.ए. 01 के पृष्ठ क्रमांक 21 पर श्री जानकी प्रसाद शर्मा के हस्ताक्षर पाये गये तथा विकास विभाग पं.र.श.शु.वि.वि.रायपुर की मुद्रा अंकित पायी गयी । परन्तु किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नही पाये गये । वर्ष 2009–10 की स्थिति में निम्नांकित परीक्षा आवेदन फार्म मुद्रण पश्चात प्राप्त होने की प्रविष्टि निम्नानुसार पायी गयी ।

(स्टॉक पंजी में परीक्षा आवेदन फार्म क्रमांक अंकित नही पाये गये) –

दिनांक	परीक्षा आवेदन फार्म मुद्रणकर्ता का नाम एवं विवरण	परीक्षा आवेदन फार्म की संख्या
स्टॉक पंजी में प्रविष्टी नहीं	इस प्रतिवेदन की कण्डिका क्रमांक 14 (अ) (5) अनुसार वर्ष 08–09 का शेष परीक्षा आवेदन फार्म	12799
03.11.09	छ.ग. संवाद बिल नंबर 171, दिनांक 16.10.09 परीक्षा आवेदन फार्म (नियमित)	100000

03.11.09	छ.ग. संवाद बिल नंबर 171, दिनांक 16.10.09 परीक्षा आवेदन फार्म (अमहाविद्यालयीन)	100000
30.03.10	छ.ग. संवाद बिल नंबर 403 दिनांक 17.03.10 परीक्षा फार्म (अमहाविद्यालयीन)	30000
05.01.11	छ.ग. संवाद बिल नंबर 883 दिनांक 05.01.11 परीक्षा फार्म (अमहाविद्यालयीन)	19750
	योगः–	**262549**

इस प्रकार संपरीक्षा प्रतिवेदन 2009–10 की कण्डिका क्रमांक 04 (अ) के सरल क्रमांक 14 वर्ष 2009–10 के तृतीय कॉलम में दर्ज परीक्षा आवेदन फार्म की संख्या 262549 सही पायी गयी । स्टॉक पंजी सी.ए. 01 में ना तो प्रारंभिक शेष दर्शाया गया है और ना ही वितरण की संख्या दर्शायी गयी है । स्टॉक पंजी प्रविष्टि अपूर्ण पायी गयी । वितरण पंजी पृथक से संधारित होना पाया गया । जो कि वि.वि. के किसी भी अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना नही पाया गया । वितरण पंजी में पृथक–पृथक पृष्ठ में पृथक–पृथक महाविद्यालयों के नाम दर्ज उपरांत वितरण की प्रविष्टियां पायी गयी। जिनमें अत्यधिक कांट–छांट एवं पुनर्लेख्य पाये गये । महाविद्यालयों से वापस प्राप्त परीक्षा आवेदन फार्मो की क्रमवार क्रमांक का कही भी उल्लेख नही पाया गया । जिससे यह प्रमाणित नही होता कि कौन–कौन सी क्रम संख्या के परीक्षा आवेदन फार्म वि.वि. को वापस प्राप्त हुए । महाविद्यालयों को जारी होने वाले परीक्षा फार्म के टंकित पत्र में उल्लेखित विशेष टीप क्रमांक 05 में उल्लेख है कि **"आवेदन फार्म का विक्रय कृपया क्रमवार ही करें ताकि वापसी में सुविधा हो"** । परन्तु इस टीप का पालन होना नही पाया गया । क्योंकि वापसी के फार्मो पर क्रमांक अंकित नही पाये गये। परीक्षा आवेदन फार्म वितरण की प्रविष्टियां भी पंजी में क्रमवार नहीं पायी गयी ।

2– वर्ष 2009–10 की परीक्षा आवेदन वितरण पंजी पृष्ठ क्रमांक 05 से 345 तक की वितरण प्रविष्टियों का मिलान करने पर परीक्षा फार्म वितरण की स्थिति निम्नानुसार पायी गयी–

विवरण	वितरित परीक्षा आवेदन फार्म की संख्या
महाविद्यालयों को वितरित फार्म की संख्या	209527
महाविद्यालयों को वितरित फार्म परन्तु लेखा अप्राप्त	8173
अध्ययन शालाओं द्वारा विक्रय परीक्षा फार्म	6270
स्वागत कक्ष द्वारा विक्रय परीक्षा फार्म	11341
अध्ययन शालाओं एवं स्वागत कक्ष से लेखा अप्राप्त फार्म	674
इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ क्रमांक 95** पर अंकित विवरण अनुसार फार्म प्रदाय प्रविष्टि वितरण पंजी में पायी गयी परन्तु निरीक्षण जांच के विवरण में उल्लेख नहीं पाया गया ।	913
योगः–	**236898**

(33)

उपरोक्त बिन्दु कमांक 01 में उल्लेखित परीक्षा आवेदन फार्म की प्रारंभिक संख्या 262549 में से उपरोक्त वितरण परीक्षा फार्म संख्या 236898 घटाने के उपरान्त भण्डार में 25651 नग परीक्षा फार्म शेष बचना चाहिये । परन्तु वितरण पंजी वर्ष 2009–10 में प्रदाय फार्म के ना तो योग लगाये गये है न शेष निकाले गये हैं । इसलिये वि.वि. के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा किये गये निरीक्षण जांच नस्ती वर्ष 2009–10 के पृष्ठ कमांक 55, 56, 59 एवं 60 के अनुसार वर्ष 2008–09 के बचत परीक्षा फार्म 74 नग (22 + 52) सहित (संलग्न **पृष्ठ कमांक 96 से 99** अनुसार) वर्ष 2009–10 के 15945+74 = 16019 फार्म भण्डार में शेष होने का विवरण पाया गया परन्तु इसे पंजी में अंकित होना नही पाया गया । बचत फार्म 16019 का विवरण निम्नानुसार है–

निरीक्षण जांच नस्ती वर्ष 09–10 का पृष्ठ कमांक / दिनांक	बचत परीक्षा फार्म (नियमित)	बचत परीक्षा फार्म (अमहाविद्यालयीन)	कुल बचत परीक्षा फार्म
55 / 24.01.12	2302	12422	14724
56 / 05.03.12	270	420	690
59 / 04.04.12	157	60	217
60 / 10.04.12	–	314	314
		योग–	**15945**
वर्ष 2008–09 का बचत फार्म (22 + 52) संलग्न पृष्ठ कमांक 96 से 99 अनुसार			**74**
		कुल बचत परीक्षा फार्म	**16019**

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 09–10 में 16019 परीक्षा आवेदन फार्म बचत का प्रमाणीकरण निरीक्षण जांच नस्ती में पाया गया जबकि वर्ष 09–10 की वास्तविक बचत उपरोक्त दिये गये विवरण के अनुसार (262549 – 236898) = 25651 होना चाहिये । 25651 बचत फार्म के विरूद्व मात्र 16019 परीक्षा आवेदन फार्म बचत का निरीक्षण जांच में उल्लेख पाये जाने के कारण अंतर परीक्षा फार्म (25651 – 16019) = 9632 फार्म की भण्डार में कमी पाई गई ।

(स) वर्ष 2010–11 में 13061 नग परीक्षा आवेदन फार्म की भण्डार में कमी एवं स्टॉक पंजी अपूर्ण :–

1 – पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के विकास विभाग में संधारित परीक्षा आवेदन फार्म स्टॉक पंजी सी.ए. 01 के पेज नंबर 22 में 3 पीएसडी अहमदाबाद से दिनांक 26.11.10 को नियमित परीक्षा आवेदन फार्म 100000 नग, अमहाविद्यालयीन परीक्षा आवेदन फार्म 100000 नग एवं दिनांक 13.01.11 को अमहाविद्यालयीन परीक्षा आवेदन फार्म 25000 इस प्रकार कुल 225000 नग परीक्षा आवेदन फार्म की प्रविष्टि पायी गयी । जिस पर श्री जानकी प्रसाद शर्मा नि.व.लि. का हस्ताक्षर पाया गया । विकास विभाग पं.र.शं.शु.वि.वि. रायपुर की मुहर पायी गयी । जिस पर किसी भी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं पाये गये । अतः प्रविष्टियां प्रमाणित नहीं पायी गयी ।

निरीक्षण जांच नस्ती में संलग्न विवरण एवं संबंधित मूल नस्ती में संलग्न चालान का परीक्षण करने पर परीक्षा आवेदन फार्म निम्नानुसार पाये गये–

विवरण	परीक्षा आवेदन फार्म की संख्या
इस प्रतिवेदन में संलग्न विवरण **पृष्ठ कमांक 100** के अनुसार 3 पीएसडी अहमदाबाद से चालान द्वारा वि.वि. रायपुर को प्रेषित परीक्षा फार्म संख्या	240400
परीक्षा आवेदन फार्म स्टॉक पंजी सी.ए. 01 पृष्ठ 21 में दर्ज सागर प्रिंटर्स रायपुर के बिल कमांक 578 दिनांक 06.01.2011 द्वारा प्राप्त आवेदन फार्म की संख्या	25000
योग:–	265400

वर्ष 2010–11 में चालानएवं बिल के आधार पर 265400 परीक्षा फार्म प्राप्त होने संबंधी विवरण अभिलेखों में पाया गया । जबकि स्टॉक प्रविष्टि मात्र 225000+25000 = 250000 परीक्षा फार्म की प्रविष्टि पाई गई । 15400 फार्म की प्रविष्टि नही पाई गई जो कि एक गंभीर अनियमितता है ।

2 – परीक्षा आवेदन फार्म वितरण पंजी वर्ष 2010–11 पृष्ठ कमांक 5 से 416 तक की गई प्रविष्टि एवं संपरीक्षा में प्रस्तुत रसीद पन्नो की द्वितीय प्रतियों के आधार पर महाविद्यालयों, अध्ययन शालाओं एवं स्वागत कक्ष की ओर कुल 230282 परीक्षा आवेदन फार्म वितरण होना पाया गया ।

3 – वर्ष 2010–11 में प्राप्त परीक्षा आवेदन पत्र उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 अनुसार 265400 तथा बिन्दु कमांक 2 में उल्लेखित विवरण अनुसार वितरण परीक्षा आवेदन फार्म 230282 घटाने पर भण्डार में (265400 – 230282 = 35118) 35118 फार्म शेष बचना चाहिये । परन्तु वितरण पंजी में न तो योग लगाये गये हैं, ना ही शेष निकाले गये हैं । इसलिये निरीक्षण जांच नस्ती के पृष्ठ

कमांक 41, 42 एवं 44 पर श्री जानकी प्रसाद शर्मा की उपस्थिति में गिनकर वर्ष 10–11 के परीक्षा फार्म भण्डार में रखे जाने का उल्लेख पाया गया । पृष्ठ कमांक 41 पर 1125 + 20593, पृष्ठ क. 42 पर 226 + 13 तथा पृष्ठ क. 44–45 पर 100 नग परीक्षा फार्म इस प्रकार इनकी कुल संख्या 22057 नग अंकित होना पाया गया । इस पर श्री जानकी प्रसाद शर्मा के हस्ताक्षर भी पाये गये । उक्त पृष्ठ की सत्यापित फोटो प्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 101, 102, 103** पर संलग्न है ।

4 – वर्ष 2010–11 में	प्राप्त फार्म	265400
	वितरित फार्म	230282
	बचत फार्म	35118

परन्तु श्रीजानकी प्रसाद शर्मा द्वारा मात्र 22057 फार्म ही उपलब्ध होने संबंधी विवरण निरीक्षण जांच में उपलब्ध कराया गया जिस पर उनके हस्ताक्षर भी पाये गये । इस प्रकार (35118 – 22057) = 13061 फार्म भण्डार में कम पाए गए । विभागीय जांच प्रतिवेदन दिनांक 14.11.13 के पृष्ठ कमांक 20 में आरोप बिन्दु कमांक 03 (14) परीक्षा फार्म वर्ष 2010–11 से संबंधित आरोप प्रमाणित सिद्व होना पाया गया ।

(द) वर्ष 2011–12 में 1199 नग परीक्षा फार्म की भण्डार में कमी एवं स्टॉक पंजी अपूर्ण :–

(1) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के लेखा वर्ष 2011–12 में विकास विभाग में संधारित परीक्षा आवेदन फार्म स्टॉक पंजी सी.ए. 01 के पेज नंबर 22 से 23 पर ओसवाल कम्प्यूटर एण्ड कन्सलटेंट प्रा.लि. 60 इलेक्ट्रानिक्स कॉम्पलेक्स इंदौर से निम्नानुसार परीक्षा आवेदन फार्म की आवक प्रविष्टि पाई गई –

स्टॉक पंजी सी. ए. 01 का पेज नंबर	दिनांक	परीक्षा आवेदन फार्म विवरण	परीक्षा आवेदन फार्म प्राप्ति की संख्या
22	14.12.11	नियमित परीक्षा आवेदन फार्म देयक कमांक ओ.डी.पी./के.के.के./2011–12/115 दिनांक 24.10.11 स्टॉक प्रविष्टि पर सहा. कुल सचिव (विकास) का हस्ताक्षर पाया गया । लिपिक के रूप में श्री योगेश कुमार सोनटेके का हस्ताक्षर पाया गया	125000 नग
23	14.12.11	अमहाविद्यालयीन परीक्षा आवेदन फार्म देयक कमांक ओ.डी.पी./के.के.के./2011–12/122 दिनाक 22.11.11 स्टॉक प्रविष्टि पर सहायक कुल सचिव (विकास) का हस्ताक्षर पाया गया । लिपिक के रूप में श्री योगेश सोनटेके का हस्ताक्षर पाया गया	175000 नग
		योग–	**300000**

उपरोक्तानुसार वर्ष 11–12 में 300000 नग परीक्षा आवेदन फार्म की प्रविष्टि पाई गई। इस प्रकार संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2009–10 की कण्डिका कमांक 4 (अ) के सरल कमांक 14 पर वर्ष

2011–12 में अंकित मुद्रण फार्म संख्या के कॉलम में अंकित 300000 नग परीक्षा आवेदन फार्म संख्या विशेष संपरीक्षा में सही पाई गई ।

(2) परीक्षा आवेदन फार्म स्टॉक पंजी सी.ए. 01 में प्रारंभिक शेष अंकित नही पाया गया । वितरण प्रविष्टियां नही पाई गई । पृथक से संधारित वर्ष 2010–11 की फार्म वितरण पंजी में पृथक–पृथक पृष्ठों पर दर्ज महाविद्यालयों के नाम के सम्मुख ही वर्ष 2011–12 की प्रविष्टियां भी की गई है । परन्तु वितरण पंजी किसी भी अधिकारी द्वारा प्रमाणित नही पाया गया । प्रविष्टियां कमानुसार नही पाई गई । प्रदाय फार्म के सरल कमांक अधिकांश प्रविष्टियों में नहीं पाये गये । प्रविष्टियो में कांट–छांट एवं पुनर्लेख्य पाये गये । वर्ष 10–11 एवं 11–12 के वितरण फार्मो के योग नही लगाये गये हैं । शेष नही निकाले गये है । प्रविष्टियां दिनांक अनुसार बढ़ते कम में नहीं पाई गई ।

(3) वर्ष 2011–12 में परीक्षा आवेदन वितरण पंजी के पृष्ठ कमांक 05 से 409 तक दर्ज फार्म वितरण प्रविष्टियां का परीक्षण करने प्रस्तुत निरीक्षण जांच नस्ती वर्ष 11–12 में उपलब्ध अभिलेखो तथा विशेष संपरीक्षा में उपलब्ध कराई गई कार्यालयीन रसीद पन्नो की द्वितीय प्रतियो के परीक्षण में निम्नानुसार फार्म वितरण की स्थिति पाई गई –

विवरण	वितरित परीक्षा आवेदन फार्म की संख्या
महाविद्यालयों द्वारा विक्रय परीक्षा आवेदन फार्म	167998
अमहाविद्यालयीन शालाओ द्वारा विक्रय परीक्षा आवेदन फार्म	706
स्वागत कक्ष द्वारा विक्रय परीक्षा आवेदन फार्म	8231
महाविद्यालय को वितरित परन्तु लेखा अप्राप्त	47277
स्वागत कक्ष एवं अमहाविद्यालयीन को वितरित परन्तु लेखा अप्राप्त	262
विशेष संपरीक्षा में उपलब्ध कराई गई रसीद पन्नों के आधार पर परीक्षा फार्म विक्रय होना पाया गया परन्तु निरीक्षण जांच नस्ती में उनकी प्रविष्टि नहीं पाई गई । ऐसी सूची इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 104, 105** पर संलग्न है ।	1088
योगः–	**225562**

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 11–12 में 225562 परीक्षा आवेदन फार्म वितरित होना पाया गया ।

(4) बिन्दु कमांक (1) अनुसार प्राप्त परीक्षा आवेदन फार्म 300000 नग । बिन्दु कमांक (2) में दर्ज विवरण अनुसार वितरित परीक्षा आवेदन फार्म 225562 नग । इस प्रकार (300000 – 225562) = 74438 नग फार्म भण्डार में शेष होना चाहिये । परन्तु वितरण पंजी में न तो योग लगाये गये हैं, ना शेष निकाले गये हैं इसलिये निरीक्षण जांच नस्ती वर्ष 2011–12 के पृष्ठ कमांक 29, 30, 32 एवं 33 में दर्ज बचत फार्म की प्रविष्टि निम्नानुसार पाई गई –

निरीक्षण जांच नस्ती का पृष्ठ कमांक एवं दिनांक	बचत परीक्षा फार्म भण्डार में जमा किया जाना दर्शाया है जिस पर श्री जानकी प्रसाद शर्मा का हस्ताक्षर अंकित पाया गया	
29 / 24.01.12	नियमित परीक्षा फार्म	41000
	अमहाविद्यालयीन परीक्षा फार्म	5800
	अमहाविद्यालयीन परीक्षा फार्म	20000
30 / 04.02.12	अमहाविद्यालयीन परीक्षा फार्म	2588
	नियमित परीक्षा फार्म	2517
32 / 30.03.12	अमहाविद्यालयीन परीक्षा फार्म	571
	नियमित परीक्षा फार्म	309
33 / 05.03.12	नियमित परीक्षा फार्म	454
	योग–	**73239**

भण्डार में परीक्षा आवेदन फार्म शेष होना चाहिये 74438 नग परन्तु निरीक्षण जांच नस्ती अनुसार श्री जानकी प्रसाद शर्मा द्वारा उपरोक्तानुसार 73239 नग शेष होना दर्शाया गया है । अतः (74438 – 73239) = 1199 नग परीक्षा आवेदन फार्म भण्डार में कम होना पाया गया ।

इस संबंध में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर विभागीय जांच प्रतिवेदन दिनांक 14.11.13 के पृष्ठ कमांक 20 पर आरोप बिन्दु कमांक 03 (14) परीक्षा फार्म से संबंधित आरोप का बिन्दु प्रमाणित सिद्व होना पाया गया है ।

उपरोक्त बिन्दु कमांक (अ) में दर्शित विवरण अनुसार अभिलेखो को पूर्ण किया जाना अपेक्षित है । बिन्दु कमांक (ब) में दर्शित 9632 नग परीक्षा फार्म बिन्दु कमांक (स) में दर्शित 13061 नग परीक्षा फार्म एवं बिन्दु कमांक (द) में दर्शित 1199 नग परीक्षा फार्म, इस प्रकार कुल 23892 नग परीक्षा आवेदन फार्म की भण्डार में कमी के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है ।

(15) वर्ष 2011–12 में 380 नग ओ.एम.आर. शीट की भण्डार में कमी एवं स्टॉक पंजी अपूर्णः–

पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा वर्ष 2011–12 में आदेश कमांक 409/विकास/2011 दिनांक 11–05–2011 के माध्यम से फर्म ओसवाल कम्प्यूटर एंड कंसलटेंट प्रा. लिमिटेड 60 इलेक्ट्रानिक्स काम्पलेक्स परदेशीपुरा इंदौर को अतिरिक्त ओ.एम.आर. शीट 1,00,000 नग का आदेश दिया जाना पाया गया।

फर्म ओसवाल कम्प्यूटर द्वारा अपने देयक कमांक ओ.डी.पी/के.के.के/2011–12/121 दिनांक 11–11–2011 द्वारा एक लाख नग अतिरिक्त ओ.एम.आर. शीट 1.55 रूपये प्रति नग की दर से कुल 1,55,000/– में प्रदाय किया जाना पाया गया।

विकास विभाग के स्टाक पंजी CA-01 पृष्ठ क्र.22 पर अतिरिक्त ओ.एम.आर शीट एक लाख नग की प्रविष्टि पाई गई प्रविष्टि के समर्थन में श्री योगेश सोनटेके, सहा. ग्रेड–1 एवं सहायक कुलसचिव (विकास) श्री अब्दुल वहाब के हस्ताक्षर पाये गये।

प्रथक से संधारित परीक्षा फार्म आवेदन एवं ओ.एम.आर. शीट वितरण पंजी प्रमाणित नहीं पाई गई । वितरण पंजी वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में ओर.एम.आर शीट की वितरण प्रविष्टि दर्ज पाई गई महाविद्यालय/स्वागत कक्ष/प्रेक्षा गृह को वितरण की गई ओ.एम.आर शीट की प्रविष्टियों का पंजी में न तो योग लगाया गया है और न ही वितरण पश्चात शेष की प्रविष्टि की गई है।

विशेष संपरीक्षा के दौरान वितरण पंजी में दर्ज प्रविष्टियों का योग लगाने पर वर्ष 2011–12 में निम्नानुसार स्थिति पाई गई

क.	विवरण	वितरित ओ.एम.आर. शीट की संख्या	स्टॉक पंजी सी.ए.01 के पेज कमांक 22 अनुसार
1.	महाविद्यालयों को वितरण किये गये ओ.एम. आर शीट की संख्या के योग जिनकी राशि जमा की प्रविष्टि वितरण पंजी में दर्ज पाई गई। पृष्ठ कमांक 05 से 409 तक	26,778	1,00,000
2.	महाविद्यालयों को वितरित परन्तु लेखा अप्राप्त ओ.एम.आर शीट	6582	
3.	प्रेक्षागृह/स्वागत कक्ष द्वारा विकय ओ.एम. आर शीट की संख्या जो निरीक्षण जांच नस्ती के पृष्ठ कमांक 27 एवं 28 में उपलब्ध कराया गया। जिसकी जमा राशि का मिलान कार्यालयीन रसीद पन्नों से किया गया।	1850	
4.	ऐसी ओ.एम.आर शीट जिनकी विकय की राशि वि.वि. में रसीद द्वारा जमा पाया गया। इसकी सूची इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 106 पर** संलग्न है।	395	
	योग	35605	35605
	भण्डार में शेष होना था		64395

	परन्तु निरीक्षण जांच नस्ती वर्ष 2011–12 नस्ती क.14 के पृष्ठ क.29, पर 62,800 पृष्ठ 30 पर 1169 एवं पृष्ठ 32 पर 46 नग ओ. एम.आर. शीट बचत शेष का सत्यापन होना एवं श्री जानकी प्रसाद शर्मा के साथ–साथ श्री योगेश सोनटेके के भी हस्ताक्षर पाये गये। सत्यापित प्रतियां इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ क 107 से 109** तक संलग्न है		64015
	अन्तर (ओ.एम.आर. शीट)		380

विभागीय जांच प्रतिवेदन दिनांक 14–11–2013 के बिन्दु कमांक 03(14) पृष्ठ कमांक 21 ओ.एम.आर. शीट की कमी के सम्बन्ध में दर्ज विवरण अनुसार साक्षी श्री योगेश सोनटेके एवं श्री शिवलोचन नेताम द्वारा अपचारी कर्मचारी श्री जानकी प्रसाद शर्मा की उपस्थिति में स्टॉक मिलान किया गया था जिससे आरोप का यह बिन्दु प्रमाणित सिद्ध होने का उल्लेख पाया गया।

अतः उपरोक्तानुसार वर्ष 2011–12 में 380 नग ओ.एम.आर.शीट की भण्डार में कमी पाई गई, इसके लिये विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है ।

(40)

(16) प्रभक्षण वसूली राशि रू. 200=00 के संबंध में :–

परीक्षा आवेदन फार्म वितरण पंजी वर्ष 2010–11 के पृष्ठ कमांक 416 में दिनांक 06.12.10 को 178 नग परीक्षा आवेदन फार्म शासकीय महाविद्यालय लवन को जारी किया जाना पाया गया। 09 परीक्षा फार्म वापस प्राप्त तथा 169 फार्म की 100 रूपये प्रति फार्म के दर से राशि 16900/– रसीद कमांक 88/2825 दिनांक 13.01.11 से जमा की प्रविष्टि पाया गया। कार्यालय प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय लवन जिला–रायपुर (छ.ग.) का पत्र कमांक 118/स्था./2010 लवन दिनांक 12.01.11 द्वारा कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को प्रेषित (संबोधित) पत्र में परीक्षा आवेदन पत्र 2011 का लेखा प्रेषण किया गया है। जिसमें महाविद्यालय को 178 फार्म प्राप्त हुआ जिसमें 171 परीक्षा आवेदन फार्म विकय किया गया शेष 07 आवेदन फार्म मूलतः विश्वविद्यालय की ओर भेजा गया। 169 परीक्षा आवेदन फार्म की राशि रू. 16900/– ड्राफ्ट कमांक 311372 दिनांक 06.01.11 एवं 02 आवेदन फार्म की राशि रूपये 200/– नगद भेजा गया। शासकीय महाविद्यालय, लवन के लेखा प्रेषण पत्र में श्री जानकी प्रसाद शर्मा ने दिनांक 13.01.11 को टीप लिखा है 'राशि रू.16900/– डी.डी. जमा कर रसीद प्रदाय करें कैश काउन्टर (वित्त)''। इस प्रकार शासकीय महाविद्यालय लवन द्वारा 07 फार्म वापस एवं 02 फार्म की राशि रू. 200/– नगद भेजा जाना एवं परीक्षा फार्म वितरण पंजी के पृष्ठ कमांक 416 में दर्ज आंकडे में अंतर है। महाविद्यालय को जारी 178 फार्म में से 169 फार्म की राशि विश्वविद्यालय में जमा होना पाया गया एवं 07 फार्म वापस विश्वविद्यालय में जमा तथा 02 परीक्षा आवेदन फार्म की राशि रू. 200/– विश्वविद्यालय कोष में जमा होना नहीं पाया गया।

इस संबंध में पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा संस्थित विभागीय जांच प्रतिवेदन दिनांक 14.11.13 के **पृष्ठ कमांक 26** अनुसार श्री जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक द्वारा राशि रू. 200.00 का गबन किया जाना प्रमाणित पाया गया ।

अतः जवाबदार से राशि रू.200/– वसूल की जाकर विश्वविद्यालय निधि में जमा से अंकेक्षण को अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

सुलभ संदर्भ हेतु शासकीय महाविद्यालय लवन द्वारा प्रेषित पत्र क. 118 दिनांक 12/01/11 परीक्षा फार्म वितरण पंजी पृष्ठ कमांक 416, वि.वि. का पत्र कमांक 1943 दिनांक 24.05.2012 तथा रसीद कमांक 88/2825 दिनांक 13.01.11 की सत्यापित प्रति इस प्रतिवेदन के पृष्ठ कमांक **111** से **115** तक अवलोकनार्थ संलग्न है।

(17) असमायोजित अग्रिम रू. 10000.00 का समायोजन/वसूली अपेक्षितः–

परीक्षा मद कैश बुक वित्तीय वर्ष 2011–12 के पृष्ठ कमांक 39 में व्हाउचर कमांक 6079 दिनांक 22.11.11 से राशि रूपये 10,000=00 का अग्रिम श्री जानकी प्रसाद शर्मा को परीक्षा सत्र 2012 के आवेदन पत्र प्रेषित करने हेतु चेक कमांक 493422 दिनांक 22.11.11 को दिया गया है जिसे अग्रिम पंजी कमांक 43 के पृष्ठ कमांक 38 में दर्ज किया गया है किन्तु अग्रिम का समायोजन होना नहीं पाया गया। विशेष संपरीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण से ज्ञात हुआ कि श्री जानकी प्रसाद शर्मा (निलंबित) द्वारा 10,000=00 अग्रिम के विरूद्ध समायोजन देयक में प्रस्तुत किये गये बिल सादे कागज में स्वयं द्वारा (श्री जानकी प्रसाद शर्मा) हस्तलिखित प्रस्तुत किया गया है। जिसे वित्त विभाग द्वारा जांच उपरांत नस्ती कमांक 3 में अमान्य किया गया है। तथा नोटशीट पृष्ठ 04 में टीप अंकित किया गया है बंडल की संख्या स्पष्ट नहीं किया गया है, प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नहीं है, इंप्रेस राशि से कितने मजदूर का भुगतान किया गया है, जानकारी संलग्न नहीं है तथा अग्रिम राशि से भुगतान की स्वीकृति नहीं है, समायोजन अमान्य कर स्पष्टीकरण लिये जाने हेतु आदेशित किया गया है। तथा कुलसचिव का पत्र कमांक 2785/सा.प्रशा./12 दिनांक 25.07.12 द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया है (पत्र की फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के पृ.क्र.**116** पर अवलोकनीय है)

सुलभ संदर्भ हेतु नोटशीट, अग्रिम पंजी, समायोजन बिल की सत्यापित छाया प्रति इस प्रतिवेदन के पृष्ठ कमांक **117**से **122** तक संलग्न प्रस्तुत है।

उपरोक्तानुसार श्री जानकी प्रसाद शर्मा को दिये गये अग्रिम के समायोजन / वसूली की कार्यवाही की जाकर अंकेक्षण को अवगत कराया जाना अपेक्षित है ।

(18) 100 नग परीक्षा आवेदन फार्म की भण्डार में कमी :–

पंडित रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर के विकास विभाग में संधारित परीक्षा फार्म वितरण पंजी (लाल पंजी) के पृष्ठ कमांक 96 में दिनांक 03.08.2011 को पूरक परीक्षा 2011 हेतु शासकीय खेमराज लक्ष्मीचंद कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय बागबहरा जिला–महासमुंद (छ.ग.) को 400 नग परीक्षा फार्म प्रदाय किया जाना दर्ज है तथा रसीद कमांक 21/3069 दिनांक 02.09.11 से राशि रू. 27900/– एवं रसीद कमांक 83/3073 दिनांक 19–10–11 से राशि रू.1800=00 कुल 300 नग परीक्षा फार्म की राशि जमा होना पाया गया किंतु 100 शेष परीक्षा फार्म की वापसी या राशि जमा का इंद्राज होना नहीं पाया गया। विशेष संपरीक्षा में प्रस्तुत फार्म वितरण पंजी एवं प्रारंभिक निरीक्षण नस्ती के परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय प्राचार्य शासकीय खेमराज लक्ष्मीचंद कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय बागबाहरा जिला महासमुंद (छ.ग.) के पत्र कमांक 146/पूरक/परीक्षा/2011 बागबाहरा दिनांक 17.10.11 जो कि कुलसचिव,

पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को संबोधित है। पत्र में उल्लेख है कि "पूरक परीक्षा 2011 के लिये कुल 400 परीक्षा आवेदन फार्म प्राप्त हुए थे जिसमें 300 फार्मो का विक्रय कर लिया गया है शेष 100 फार्म आपकी ओर प्रेषित है।" उक्त पत्र में विशेष कर्तव्य अधिकारी परीक्षा द्वारा 100 परीक्षा आवेदन फार्म को दिनांक 19.10.11 को प्राप्त किया गया है। उनके द्वारा दिनांक 16.07.12 को टीप अंकित किया गया है **"उस अवधि में कर्मचारियों की हड़ताल जारी थी महाविद्यालय का फार्म मेरे द्वारा प्राप्त कर श्री उपाध्याय उर्फ श्री जानकी प्रसाद शर्मा को श्री वहाब सहायक कुलसचिव विकास के समक्ष उपलब्ध करा दिया हूँ कृप्या परीक्षण करा लें"** विशेष कर्तव्य अधिकारी परीक्षा के कथन की पृष्टि करने एवं महाविद्यालय द्वारा जमा पूरक परीक्षा के 100 फार्म की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से श्री जानकी प्रसाद शर्मा को पत्र कमांक 2785/सा.प्रशा./12 रायपुर दिनांक 25.07.12 द्वारा आरोप पत्र की कंडिकाओं में शामिल किया जाना पाया गया।

सुलभ संदर्भ हेतु नोटशीट, कार्यालय प्राचार्य शासकीय खेमराज लक्ष्मीचंद कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय बागबाहरा के पत्र तथा विश्वविद्यालय द्वारा जारी पत्र की सत्यापित छाया प्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 123 से 125** तक अवलोकनार्थ संलग्न है।

अतः उपरोक्त दर्शित विवरण अनुसार 100 नग परीक्षा आवेदन फार्म की भण्डार में कमी पाई गई, इसके संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है ।

(19) वसूली योग्य राशि रू.1900=00

विकास विभाग में संधारित परीक्षा फार्म वितरण पंजी वर्ष 2011–12 के पृष्ठ कमांक 218 में श्री रावतपुरा सरकार संस्थान कुम्हारी जिला–दुर्ग को 80 परीक्षा फार्म प्रदाय एवं 15 परीक्षा फार्म की राशि शेष होना अंकित किया गया है। 80 फार्म की राशि रसीद कमांक 42/3100 दिनांक 31–12–11 से राशि रू. 8000/– जमा की प्रविष्टि दर्ज है। विशेष संपरीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों एवं प्रारंभिक निरीक्षण नस्ती के परीक्षण में पाया गया कि श्री रावतपुरा सरकार संस्थान कुम्हारी दुर्ग के पत्र कमांक/एस.आर.आई/शिक्षा संकाय/प.फा./2011/37 दिनांक 15.11.11 द्वारा कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को प्रेषित पत्र में वर्ष 2011–12 की वार्षिक परीक्षा के लिए 99 फार्म की मांग की गई। उक्त पत्र पर रूपये 9900/– (नौ हजार नौ सौ) मात्र जमा करावें दिनांक 15.11.11 टीप अंकित है। टीप पर हस्ताक्षर अस्पष्ट है।

सहायक कुलसचिव, विकास, पं.र.वि.वि. के पत्र कमांक 262/विकास/प.फार्म लेखा/2012 रायपुर दिनांक 10.05.12 द्वारा प्राचार्य श्री रावतपुरा सरकार संस्थान कुम्हारी जिला–दुर्ग को परीक्षा आवेदन फार्म 2010–11 का लेखा की जानकारी मांगा जाना पाया गया। जिसके पालन में प्राचार्य रावतपुरा सरकार संस्थान कुम्हारी के दो कर्मचारियों (1) श्री श्याम वर्मा, आफिस सहायक (2) श्री दामोदर श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 28/05/12 को पत्र लिखकर स्पष्ट किया गया कि विकास विभाग में संपर्क करने पर फार्म की राशि 9900/– मात्र वित्त विभाग में जमा करने हेतु कहा गया। तुरंत कैश काउंटर में राशि जमा करने गये परन्तु कैश काउंटर बंद होने के कारण जमा नहीं हो सका। विकास विभाग से संपर्क कर कैश काऊंटर बंद होने की जानकारी दी गई तो कार्य सहायक द्वारा परीक्षा फार्म के नगद पैसे की मांग की गई और फार्म ले जाओं बोला। चूंकि संस्थान को परीक्षा फार्म की अत्यंत आवश्यकता थी इस कारण कार्य सहायक को नगद राशि देकर 99 (निन्यानबे) परीक्षा फार्म प्राप्त कर लिये।

पत्र में उल्लेखानुसार "विश्वविद्यालय का पत्र कमांक 262/विकास/प.फार्म लेखा/2012 दिनांक 15.05.12 प्राप्त होने पर रसीद के बारे में जानकारी हेतु विश्वविद्यालय के विकास विभाग में जाकर परीक्षा फार्म वितरण पंजी के परीक्षण में 80 परीक्षा फार्म की राशि रू. 8000 रसीद क्र. 42/3100 दिनांक 31.12.11 से जमा होना दिखाया जा रहा है। और 15 फार्म शेष बताया गया है इस तरह विकास विभाग में संधारित पंजी में 95 फार्म प्रदाय दर्शाया गया है जबकि महाविद्यालय को 99 परीक्षा फार्म प्रदाय किया गया है। अभिलेखो में भिन्नता दिखाई दे रही है"।

श्री रावतपुरा सरकार संस्थान कुम्हारी दुर्ग द्वारा 99 परीक्षा फार्म लेना स्वीकार किया जाने पर उपकुलसचिव (प्रशासन) पं. रविशंकर वि.वि. के पत्र कमांक 3225/सा. प्रशा./12 रायपुर दिनांक 27.08.12 द्वारा श्री जानकी प्रसाद शर्मा निलंबित को 19 परीक्षा फार्म की राशि गबन करने एवं 99 परीक्षा फार्म की राशि की रसीद सम्बन्धित महाविद्यालय को प्रदाय नहीं करने का आरोप कंडिका में शामिल किया गया है। विशेष संपरीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों एवं वितरण पंजी के परीक्षण में 19 फार्म की राशि रू. 1900/– वि.वि. कोष में जमा होना नहीं पाया गया।

विभागीय जांच प्रतिवेदन दिनांक 14.11.13 के पृष्ठ कमांक 29 अनुसार श्री जानकी प्रसाद शर्मा नि.व.लि. (अपचारी कर्मचारी) पर आरोप बिन्दु कमांक 15 प्रमाणित होना पाया गया। [सत्यापित फोटो प्रति इस प्रतिवेदन के साथ पृष्ठ कमांक 29 पर अवलोकनार्थ संलग्न है]

उपरोक्त उल्लेखित विवरण में दर्ज पत्रों की सत्यापित फोटो प्रति इस प्रतिवेदन में **पृष्ठ कमांक 126 से 128** पर अवलोकनार्थ संलग्न है।

अतः विभागीय जांच प्रतिवेदन दिनांक 14.11.2013 के आरोप कमांक 12, 14 एवं 15 प्रमाणित पाये जाने के कारण उत्तरदायी पक्ष से राशि वसूल किया जाकर वि.वि. की निधि में जमा के विवरण से अंकेक्षण को अवगत कराया जाना अपेक्षित है ।

(20) वितरित किये गये परीक्षा फार्म एवं ओ.एम.आर.शीट फार्म के लेखो का समायोजन अपेक्षितः–

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की विशेष संपरीक्षा में उपलब्ध कराई गई प्रारंभिक निरीक्षण नस्ती में निम्नानुसार परीक्षा आवेदन फार्म एवं ओ.एम.आर.शीट महाविद्यालय स्वागत कक्ष को वितरित किया जाना पाया गया परन्तु उनका लेखा अप्राप्त बताया गया है ।

अतः निम्न विवरण अनुसार अप्राप्त लेखों का समायोजन कब–कब किया गया है, उसका विवरण एवं प्राप्त राशि के रसीद क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करने के पश्चात् लेखा पूर्ण किया जाकर सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाना अपेक्षित है जिससे यह स्थिति स्पष्ट हो सके कि महाविद्यालयों से विश्वविद्यालय को कितनी राशि प्राप्त किया जाना है । अप्राप्त लेखों का विवरण निम्नानुसार है–

निरीक्षण जांच नस्ती वर्ष एवं पृष्ठ क्रमांक	लेखा अप्राप्त परीक्षा फार्म की संख्या	लेखा अप्राप्त ओ. एम.आर.शीट की संख्या	दर राशि रूपये	असमायोजित राशि
2008–09 पृ.क.ए 1 (महा. अ.शाला, स्वागत कक्ष)	3194	–	25	79850
2009–10 पृ.क. ए 1 महाविद्यालयीन	8173	–	50	408650
अ.शाला एवं स्वागत कक्ष	674	–	50	33700
2010–11 पृ.क. 1 ए महाविद्यालय	7999	–	100	799900
2010–11 पृ.क. 1 ए अ. शाला, स्वागत कक्ष	17	–	100	1700
2011–12 पृ. 1 महाविद्यालय	47277	–	100	4727700
स्वागत कक्ष, अ.शाला	262	–	100	26200
2011–12 पृ.क. 2 महा. स्वागत कक्ष, अ.शाला		6592	20	131840
योग–	**67596**	**6562**	–	**6209540**

प्रारंभिक निरीक्षण नस्ती के उपरोक्त विवरण से संबंधित विस्तृत सूचियां निरीक्षण जांच नस्ती में संलग्न है एवं अप्राप्त लेखा विवरण की सत्यापित प्रतियां इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ क्रमांक 129 से 133** तक अवलोकनार्थ संलग्न है ।

अतः उपरोक्त विवरण में दर्शाये गये अप्राप्त लेखों का समायोजन प्रविष्टियों को पृथक से पंजी में क्रमवार लिखा जाकर प्राप्त रसीदो के आधार पर प्रविष्टि किया जाकर सक्षम अधिकारी से सत्यापन उपरांत अंकेक्षण को अवगत कराया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण अभिमत– उपरोक्तानुसार कण्डिका कमांक 01 से 20 में उल्लेखित विवरण तथ्यों, प्रमाणों से स्पष्ट है कि पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों द्वारा छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 40 के अंतर्गत निर्मित विनियम कमांक 108 में निम्नानुसार दिये गये प्रावधानो का पालन नही किये जाने के कारण विश्वविद्यालय को आर्थिक क्षति उठानी पड रही है ।

विनियम 108 के भाग–2 की कण्डिका कमांक 3 के तहत केशबुक, देयक पंजी, आय–व्यय पंजियो के रख–रखाव के संबंध में किये गये प्रावधान के अंतर्गत प्राप्त होने वाली आय से संबंधित रसीद बुक, दैनिक वसूली पंजी का लेखा वित्त विभाग, मुद्रणालय एवं भण्डार द्वारा रखा जाकर प्रतिमाह वित्त अधिकारी (वित्त नियंत्रक) द्वारा उसका भौतिक सत्यापन किया जाना है । इसके पालन का अभाव पाया गया । वित्त अधिकारी (वित्त नियंत्रक) द्वारा प्रतिमाह के अंत में मुद्रणालय, भण्डार का भौतिक सत्यापन किया जाना नही पाया गया । विकास विभाग द्वारा भी भण्डार का लेखा वित्त अधिकारी (वित्त नियंत्रक) के समक्ष भौतिक सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाने संबंधी उल्लेख पंजी में नहीं पाया गया ।

विनियम 108 के भाग– 8 " भण्डार सामग्री का भौतिक सत्यापन एवं अपलेखन प्रक्रिया" की कण्डिका कमांक 03 के अनुसार केंद्रीय भण्डार का पूर्ण नियंत्रण कुल सचिव अथवा प्राधिकारी के अधीन रहेगा । भण्डार पंजी के प्रपत्र में समस्त जानकारी प्रत्येक तीन माह में प्राधिकारी / कुल सचिव द्वारा सत्यापित किया जा सकेगा परन्तु विगत चार वर्षो में एक बार भी भौतिक सत्यापन होने संबंधी कोई भी विवरण या प्रविष्टि भण्डार पंजी में नही पायी गयी । विनियम – 108 के भाग – 8 की कण्डिका कमांक 5 के परन्तु अनुसार विकास विभाग के भण्डार का सत्यापन प्रत्येक तीन माह में संबंधित अधिकारी समस्त कार्यवाही के लिये सक्षम प्राधिकारी होंगे । परन्तु उक्त प्रावधान का पालन विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी द्वारा किया जाना नहीं पाया गया । यदि निर्धारित समयावधि में सत्यापन किया गया होता तो इतनी गंभीर परिस्थिति निर्मित होने के पूर्व ही उस पर अंकुश लगाया जा सकता था ।

विशेष संपरीक्षा से संबंधित कालावधि 2008–09 से 2011–12 लगातार चार वर्षो तक विकास विभाग में विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी निम्नानुसार पदस्थ होने संबंधी पं.र.शं.शु.वि.वि. रायपुर के आदेश पाये गये–

कमांक	वि.वि. का आदेश कमांक / दिनांक	विकास विभाग में पदस्थ विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी का नाम	समयावधि
1	3476 / प्रशा.स्टो. / कु.स., दिनांक 21.10.05	श्री डी.पी.कुइटी (प्रवाचक भूगर्भ शास्त्री)	21.10.05 से 09.06.09 तक
2	2859 / सा.प्रशा. / 09, दिनांक 09.06.09	श्री निनाद बोधनकर (रीडर भूविज्ञान अध्ययनशाला)	10.06.09 से 05.07.10 तक

3	3069 / सा.प्रशा. / 10, दिनांक 05.07.2010	डॉ.ए.के.पाण्डेय (अर्थशास्त्र अध्ययनशाला)	06.07.10 से 04.02.11 तक
4	539 / सा.प्रशा., दिनांक 04.02.2011	श्री अब्दुल वहाब (सहा. कुल सचिव)	05.02.11 से 07.09.12 तक

उपरोक्त आदेशों की सत्यापित प्रतियां इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 134 से 137** तक संलग्न है ।

उपरोक्तानुसार यदि निर्धारित समयावधि में सत्यापन किया गया होता तो इतनी गंभीर परिस्थिति निर्मित होने के पूर्व ही उस पर अंकुश लगाया जा सकता था । परिनियम 108 के भाग– 2 की कण्डिका (03), भाग – 8 की कण्डिका (03), (04) एवं (05) का पालन नही करने हेतु कुल सचिव वित्त अधिकारी (वित्त नियंत्रक) विकास विभाग में पदस्थ विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी भी उत्तरदायी पाये गये ।

अभिलेख पूर्ण करने एवं विभागीय जांच में प्रमाणित एवं भौतिक सत्यापन में उपलब्ध परीक्षा आवेदन पत्रों की प्रविष्टियां अवशेष परीक्षा फार्म के रूप में संबंधित वितरण पंजी में दर्ज करने एवं प्रमाणित करने हेतु अंकेक्षण के दौरान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 की धारा 6 (1) (क) के अधीन पत्र कमांक / आर.जी. / 125, दिनांक– 22.09.17, 126 दिनांक – 23.09.17 धारा 6 (1) (ख) के अधीन पत्र कमांक / आर.जी. / 130 दिनांक – 04.10.17, 133 दिनांक – 11.10.17, 134 दिनांक – 12.10.17 एवं धारा 6 (1) (ग) के अधीन अपेक्षा पत्र कमांक / आर.जी. / 138, दिनांक – 27.10.17 जारी किये गये प्रत्युत्तर में मात्र एक पत्र कमांक 977 / परीक्षा / 2017 दिनांक – 30.10.17 प्राप्त हुआ । जिसमें पूरक परीक्षा में सम्मिलित नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षार्थियों की संख्या वर्ष 2008–09, 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 की स्थिति में निरंक बताई गई है । पूछने पर ज्ञात हुआ कि आंकड़े उपलब्ध नहीं है । उपलब्ध होने पर अवगत कराया जावेगा । इस प्रकार उक्त चार वर्षो में कुल परीक्षार्थियों की संख्या भी स्पष्ट नही हो सकी । संबंधित पत्र की फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 138** पर संलग्न है । कार्यालय उपसंचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा रायपुर का पत्र कमांक / डी.डी.एल.ए.आर. / प्रति–2 / 2551 दिनांक 31.10.17 एवं संचालनालय स्थानीय निधिसंपरीक्षा रायपुर का पत्र कमांक / एल.एफ.ए. / प्रति. / वि.सं. / 2017 / 1116–1117 नया रायपुर दिनांक 06.11.17 कुल सचिव, पं.र.श.शुक्ल वि.वि. रायपुर की ओर प्रसारित किया गया परन्तु संपरीक्षा समाप्ति तक वितरण पंजी न तो पूर्ण किये गये, ना ही उनमें बचत फार्मो की संख्या का उल्लेख पाया गया ।

लेखावर्ष 2011–12 के पश्चात भी प्रकिया में कोई सुधार होना नही पाया गया । ना तो भौतिक सत्यापन किया गया है, ना ही विभागीय जांच एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित बचत प्रपत्रों की प्रविष्टि संबंधित स्टॉक एवं वितरण पंजी में दर्ज होना पाया गया । अतः परिनियम 108 के प्रावधान अनुसार लेखा तैयार करना, भौतिक सत्यापन करना, वापसी योग्य परीक्षा फार्मो एवं वसूली योग्य राशि की गणना एवं सत्यापन किये जाने की ओर विश्वविद्यालय प्रशासन का ध्यान विशेष रूप

आकर्षित किया जाता है ताकि विश्वविद्यालय को होने वाली क्षति को रोका जा सके । इस तिवेदन की कण्डिका कमांक 01 से 19 तक का निराकरण अपेक्षित है एवं इस संबंध में संलग्न पृष्ठ क. 139 में दिये गये विवरण अवलोकनीय है । कण्डिका क. 20 के अनुसार राशि रू. 6209540.00 समायोजन योग्य पाया गया, जिसकी यथास्थिति परीक्षा फार्मो की वापसी, विकय फार्म की वसूली, समायोजन एवं दोषी के विरूद्व प्रशासनिक कार्यवाही किया जाकर संपरीक्षा को अवगत कराया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण शुल्क :– पं. रविशंकर शुक्ल विश्व विद्यालय रायपुर के लेखा वर्ष 2009–10 की आपत्ति कमांक 04 श्री जनकी प्रसाद शर्मा के गबन प्रकरण के सम्बंध में की गई विशेष सम्परीक्षा का सम्परीक्षा शुल्क कार्यालय उपसंचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा रायपुर के पत्र कमांक /डी.डी.एल.ए.आर. /प्रति–3/17/ 3206 रायपुर दिनांक 29.12.2017 के निर्देशानुसार तथा इस प्रतिवेदन के पृष्ठ कमांक 140 पर संलग्न विवरण अनुसार कुल आय रूपये 62525442.00 पर 0.33 प्रतिशत की दर का तीन गुना सम्परीक्षा शुल्क रूपये 619002.00 आरोपित कर पत्र कमांक आर.जी./161 रायपुर दिनांक 30.12. 2017 जारी किया गया । विश्व विद्यालय द्वारा वास्तविक आय की जानकारी उपलब्ध कराने के पश्चात संशोधित विशेष सम्परीक्षा शुल्क जारी किया जावेगा। अंकेक्षण शुल्क की राशि चालान द्वारा निर्धारित शीर्ष में जमा किया जाकर चालान की मूलप्रति सत्यापन हेतु कार्यालय उप संचालक स्थानीय निधि सम्परीक्षा रायपुर की ओर प्रेषित किया जाना अपेक्षित है ।

लेखा शीर्ष जिसमें अंकेक्षण शुल्क जमा किया जाना है – 0070 अन्य प्रशानिक सेवाएं
60 अन्य सेवाएं
110 सरकारी लेखा परीक्षा फीस
(स्थानीय निधि संपरीक्षा शुल्क)

हस्ता/–
(टी.आर.ठाकुर)
सहायक संचालक
स्थानीय निधि संपरीक्षा
रायपुर(छ.ग.)

हस्ता/–
उप संचालक
स्थानीय निधि संपरीक्षा
रायपुर(छ.ग.)

हस्ता/–
(आर.एस.गेहलोत)
ज्येष्ठ संपरीक्षक
स्थानीय निधि संपरीक्षा
रायपुर(छ.ग.)

अनुमोदित

हस्ता/–
संचालक
स्थानीय निधि संपरीक्षा
नया रायपुर (छ.ग.)

(48)

वित्त निर्देश 58/2017

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. 485/एफ 2015–04–01753/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 27.11.2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषयः नवीन अंशदायी पेंशन योजनांतर्गत जमा राशि का आंशिक आहरण की प्रकिया

संदर्भः– वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 980/सी–761/वि/नि/चार/04, दिनांक 27.10.2004

वित्त विभाग की संदर्भित ज्ञापन कमांक 977/सी–761/वि/नि/चार/04 दिनांक 27.10.2004 द्वारा 1.11.2004 या इसके पश्चात नवनियुक्त राज्य शासन के कर्मचारियों हेतु लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के सदस्यों के कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान एन.पी.एस. ट्रस्ट को अंतरित की जा रही है, योजनांतर्गत सेवा अवधि में निधि में जमा राशि से किसी प्रकार के आहरण का प्रावधान नही है।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि योजना के सदस्यों को उनकी सेवा अवधि में कर्मचारी अंशदान के कुल जमा राशि (शासन अंशदान राशि को छोड़कर) के 25 प्रतिशत तक आंशिक आहरण की पात्रता दी जाए। आंशिक आहरण के लिये प्रकिया पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के परिपत्र कमांक पी.एफ.आर.डी.ए./2016/7/Exit/2 दिनांक 21.03.2016 की कंडिका 3 एवं 4 एवं पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण नई दिल्ली की अधिसूचना 10 अगस्त 2017 के कंडिका 8(1) (अ) एवं (आ) के दिशा–निर्देशानुसार निम्नानुसार होगी :–

1. प्रयोजन –

अ. अभिदाता के पुत्र या पुत्री तथा वैध दत्तक पुत्र या पुत्री के उच्च शिक्षा हेतु।

ब. अभिदाता के पुत्र या पुत्री तथा वैध दत्तक पुत्र या पुत्री के विवाह हेतु।

स. अभिदाता के स्वयं के नाम से या कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी के संयुक्त नाम से आवासीय मकान या फ्लैट निर्माण/क्रय करने हेतु

परन्तु यदि अभिदाता के स्वयं के अथवा कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी के संयुक्त नाम से पैतृक संपत्ति के अलावा आवासीय मकान या फ्लैट पूर्व से ही है, तो इस प्रयोजन हेतु आंशिक आहरण की अनुमति नहीं दी जावेगी।

द. अभिदाता के स्वयं के, कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी के, पुत्र या पुत्री तथा वैध दत्तक पुत्र या पुत्री के या आश्रित माता पिता के बीमारी हेतु पी.एफ.आर.डी.ए. के परिपत्र में, निर्दिष्ठ निम्न बीमारी के उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती होने पर–

i	Cancer
ii	Kidney Failure (End Stage Renal Failure)
iii	Primary Pulmonary Arterial Hypertension
iv	Multiple Sclerosis
v	Major Organ Transplant
vi	Coronary Artery Bypass Graft
vii	Aorta Graft Surgery
viii	Heart Valve Surgery
ix	Stroke
x	Myocardial Infarction
xi	Coma
xii	Total blindness
xiii	Paralysis
xiv	Accident of serious/life threatening nature
xv	Any other critical illness of a life threatening nature as stipulated in the circulars, guidelines of notifications issued by the Authority from time to time.

2. **आंशिक आहरण की पात्रता एवं सीमा –**

अ. आंशिक आहरण की पात्रता अभिदाता द्वारा अंशदायी पेंशन योजना के सदस्य के रूप में 03 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर होगी। 03 वर्ष सेवा अवधि हेतु अभिदाता यदि अन्य सेक्टर में एन.पी.एस. का सदस्य था तो उस अवधि को भी गणना मे शामिल की जावेगी।

ब. आंशिक आहरण की अधिकतम सीमा आवेदन की तिथि पर अभिदाता के खाते में जमा कर्मचारी अंशदान का 25 प्रतिशत होगा।

3. **आंशिक आहरण की आवृत्ति –**

(i) अभिदाता को पूरे सेवा काल में अंशदायी पेंशन योजनांतर्गत केवल तीन बार आंशिक आहरण करने की अनुमति होगी।

(ii) चिकित्सा उपचार के प्रयोजनार्थ आहरण हेतु निर्धारित आवेदन के साथ बिन्दु कमांक 1 (द) में विनिर्दिष्ट बीमारी से संबंधित सी.आर.ए. या एन.पी.एस. ट्रस्ट द्वारा निर्धारित आवश्यक अभिलेख भी अभिदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। अभिदाता के स्वयं के रोगग्रस्त होने की स्थिति में उनके परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवदेन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(iii) अभिदाता के सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/मृत्यु के प्रकरण में उस समय तक किये गए आंशिक आहरण की राशि को समायोजित कर अंतिम भुगतान किया जावेगा।

4. आंशिक आहरण की प्रकिया :–

आंशिक आहरण हेतु अभिदाता निर्धारित आवेदन संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की जांच एवं सत्यापन उपरांत संबंधित जिला कोषालय अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा। जिला कोषालय अधिकारी संतुष्ट होने के उपरांत आंशिक आहरण का आवेदन अधिकृत कर राशि भुगतान हेतु सी.आर.ए.(एन.एस.डी.एल) को भेजेगा।

(अ) अभिदाता का दायित्व :–

(i) जो अभिदाता एन.पी.एस. के अंतर्गत 03 वर्ष की सदस्यता पूर्ण कर लिया हो वह निर्धारित आवेदन 601 PW (संलग्न) भर कर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(ii) अभिदाता आवेदन में निम्नांकित जानकारी देगा –

a. आंशिक आहरण का प्रतिशत (अधिकतम 25 प्रतिशत)

b. आहरण के उद्देश्य के संबंध में प्रमाणित दस्तावेज

c. बैंक विवरण बैंक प्रमाण के साथ (कैन्सल चेक/बैक पासबुक की प्रति/बैंक प्रमाण पत्र)

आहरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व अभिदाता यह सुनिश्चित करेगा कि, बैंक खाता विवरण सही है।

(iii) अभिदाता अपने हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान आवेदन में विहित स्थान पर अंकित करेगा तथा संबंधित जिले के जिला कोषालय अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(ब) आहरण संवितरण अधिकारी का दायित्व :–

(i) संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी अभिदाता द्वारा प्रस्तुत आवेदन की पूर्णता की जांच करेगा।

(ii) आहरण संवितरण अधिकारी आंशिक आहरण दावे के उद्देश्य तथा इनके सहायक दस्तावेजों की सत्यता को प्रमाणित करेगा।

(iii) आहरण संवितरण अधिकारी अभिदाता के बैंक खाता विवरण को सत्यापित करेगा।

(iv) आंशिक आहरण हेतु यदि अभिदाता के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दावा किया जाता है (अभिदाता के द्वारा ऐसा दावा प्रस्तुत करने में असमर्थ होने की स्थिति में) तो आहरण संवितरण अधिकारी अनिवार्य रूप से इस प्रकार के दावे के सत्यता के संबंध में स्वयं की संतुष्टि कर ले तथा यह सुनिश्चित करे कि आवेदन में उल्लेखित बैंक खाता वास्तव में अभिदाता का हैं।

(स) नोडल/जिला कोषालय का दायित्व :–

(i) आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के जांच एवं सत्यापन पश्चात् जिला कोषालय अधिकारी संतुष्ट होने पर आवेदन को अधिकृत करेगा और भुगतान की कार्यवाही हेतु सी.आर.ए. को प्रेषित करेगा।

(ii) जिला कोषालय अधिकारी आंशिक आहरण हेतु प्राप्त आवेदन पर तीन कार्य दिवस के भीतर कार्यवाही करेगा, यदि मेडिकल कारणों से आंशिक आहरण हेतु आवेदन प्राप्त हो तो यथासमय उसी दिन कार्यवाही करेगा।

(द) नोडल केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेंसी (सी.आर.ए.) का दायित्व :–

(i) जिला कोषालय अधिकारी से आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् सी.आर.ए. भुगतान की कार्यवाही करेगा।

(ii) आंशिक आहरण की राशि सी.आर.ए. द्वारा अभिदाता के बैंक खाते में इलेक्ट्रानिक T+3 माध्यम से स्थानांतरित करेगा। (T- अभिप्राय सी.आर.ए. सिस्टम में सत्यापित तथा अनुमोदित दावा प्राप्त होने की तिथि से है।)

(iii) आहरण के फिजिकल आवेदन को सी.आर.ए. संग्रहित करेगा।

आंशिक आहरण की प्रकिया पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण (PFRDA) नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ में जारी की जा रही है। अतः किसी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु पी.एफ.आर.डी.ए. का मूल परिपत्र मान्य होगा। साथ ही भविष्य में पी.एफ.आर.डी.ए. द्वारा आंशिक आहरण संबंधी जो संशोधन किये जावेगें वे तदानुसार स्वमेव ही इन निर्देशों के भाग होंगे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के. चक्रवर्ती) 23/11/2017
संयुक्त सचिव

52

FORM: 601 PW

National Pension System (NPS)

(Under Regulations 8 of PFRDA (Exits & Withdrawals) Regulations, 2015)

Partial Withdrawal form for Tier I account under NPS

(Please fill all the details in CAPITAL LETTERS & in BLACK INK only)

For Nodal Office use

PAO/DTO/POP/POP-SP Reg. No.

Receipt No.:

PRAN

Ack No.

(Generated by CRA System)

Entered By: _____ Date: _____

Verified By: _____ Date: _____

Please select your Category (please tick √)

☐ Government Sector ☐ Corporate Sector

☐ All Citizen of India ☐ NPS Lite/ Swavalamban

To,
NPS Trust

Sir/Madam,

I _____ holding a Permanent Retirement Account under National Pension System, hereby submit partial withdrawal request for withdrawal from my Tier I account under NPS and give below the necessary details:

Section A – Subscriber Personal Details

PRAN*	
Name of the Subscriber*	
Mobile No.@	
Email ID@	

@ Subscribers Mobile No. and Email ID provided here will not be updated in CRA records. For updation of Mobile No. and Email ID in CRA records, subscriber is required to submit S2 Form.

a. % of Partial Withdrawal* ☐☐ %
(Maximum 25% of own contribution (without accrued income earned thereon) only)

b. Purpose of withdrawal* (please tick √ on box below with reason applicable & submit the supporting documents)

☐ 1. for Higher education of children including a legally adopted child

☐ 2. for the marriage of children, including a legally adopted child;

☐ 3. for the purchase or construction of a residential house or flat in own name or in a joint name with legally wedded spouse

☐ 4. for treatment of specified illnesses (please tick √)

- ☐ a. Cancer
- ☐ b. Kidney Failure (End Stage Renal Failure)
- ☐ c. Primary Pulmonary Arterial Hypertension
- ☐ d. Multiple Sclerosis
- ☐ e. Major Organ Transplant
- ☐ f. Coronary Artery Bypass Graft
- ☐ g. Aorta Graft Surgery
- ☐ h. Heart Valve Surgery
- ☐ i. Stroke
- ☐ j. Myocardial Infarction
- ☐ k. Coma
- ☐ l. Total blindness
- ☐ m. Paralysis
- ☐ n. Accident of serious/ life threatening nature

c. Bank account details of the subscriber (please provide the details of the bank where the withdrawal amount shall be credited, tick √ as applicable & submit the bank proof)

☐ same bank account already registered under NPS ☐ another Bank account, please provide the details below

Bank Account Number	
Bank Name	
Type of Bank Account	Savings Account ( ) Current Account ( )
Branch Name & Address	
IFS Code	

53

Section B – Declarations

Declaration by the Subscriber*:

1. I hereby declare that information stated above is true and correct to the best of my knowledge & belief and that I have completed minimum of ten years in to the NPS as required for partial withdrawal and eligible to withdraw the amount requested above due to the urgent need of funds to support the reason mentioned above.
2. I .....(name) with PRAN.....agree that in case of any failure of Direct Credit, for any reason whatsoever, NPS Trust / CRA shall not be responsible. I also agree that NPS Trust / CRA shall not be responsible/liable for any losses that may arise due to incorrect bank account details provided herein above.

Date (d d m m y y y y)

Place

Signature / Thumb Impression of the Subscriber**

** Left thumb impression in case of illiterate male claimant and Right thumb impression in case of illiterate female

Declaration by Nodal Office(for government sector subscribers):*

I/We hereby declare that the subscriber Sh./Smt/Kum.....with PRAN.....is employed with us and I have verified the genuineness of the reasons for his/her withdrawal request and bank details submitted by him/her in respect of his/her request for partial withdrawal are correct.

Date (d d m m y y y y)

Registration No. of DDO

Signature & stamp of the DDO

Date (d d m m y y y y)

Registration No. of PAO/CDDO/DTO

Signature & stamp of the DTO/PAO/CDDO

Declaration by POP/Aggregator(for Non government sector subscribers):

I hereby declare that the subscriber Sh./Smt/Kum_____ with PRAN _____ has signed/thumb impressed before me after he/she has read the entries/have been read over by him/her for the request of partial withdrawal under NPS. I have verified the genuineness of the reasons for his/her withdrawal request and bank details submitted by him/her in respect of his/her request for partial withdrawal are correct.

Date (d d m m y y y y)

Registration No. of POP-SP/NL-CC

Signature & stamp of the Authorised person at POP-SP/NL-CC

Date (d d m m y y y y)

Registration No. of POP/NL-AO

Signature & stamp of the Authorised person at POP/NL-AO

ACKNOWLEDGMENT RECEIPT

Acknowledgment slip to the NPS Subscriber on receipt of partial withdrawal application form

(To be filled by DDO/CDDO/PAO/DTO/POP/Aggregator)

Received from PRAN :	
DDO/POP-SP/NL-CC Registration Number:	
PAO/CDDO/DTO/POP/NL-AO Registration Number	
Acknowledgement Number	

Date : (d d m m y y y y)

Received at

54

Form 601 - PW

(Under Regulation 8 of PFRDA Exits & Withdrawals Regulations, 2015)

Instructions Page

Instructions for filling up the form:

1. All fields marked with * are mandatory. All dates should be in DDMMYYYY format.
2. The Subscriber shall submit the application to the respective Nodal Office/POP/Aggregator for processing of request.
3. Before submitting the withdrawal form, subscriber should ensure that the bank account details are matched from the bank passbook/ bank statement or cheque etc to ensure that the details are correct. Subscriber should also attach the bank proof (cancelled cheque/copy of bank passbook/bank certificate) with the Partial Withdrawal Form submitted.
4. Subscriber should specify the purpose of Partial Withdrawal and a proof need to be submitted for the same.
5. Subscriber should be in the NPS atleast for a period of 10 years.
   A subscriber shall be permitted to withdraw not exceeding 25% of the contributions made by such subscriber to his/her individual pension account,
6. The Nodal officer/POP/Aggregator must verify the details of the bank account of subscriber.
7. Withdrawal amount received after the execution of the withdrawal request can be different from the requested
   amount to the extent of difference in NAV of two different days.
8. The withdrawal amount shall directly be credited to the bank account of the subscriber as mentioned in the withdrawal form.
9. In case, the subscriber already owns either individually or in the joint name a residential house or flat, other than ancestral property, no withdrawal under PFRDA regulations is permitted.
10. Treatment of specific illness covers the subscriber, his legally wedded spouse, children, including a legally adopted child or dependent parents suffer from the specified illness, which shall comprise of hospitalization and treatment.
11. The permitted withdrawal shall be allowed only if the eligibility criteria and limit for availing the benefit are complied with by the subscriber.
12. Frequency: the subscriber shall be allowed to withdraw only a maximum of three times during the entire tenure of subscription under the National Pension System and not less than a period of five years shall have elapsed from the last date of each of such withdrawal. Five years should have elapsed between two withdrawals shall not apply in case of "treatment for specified illnesses or in case of withdrawal arising out of exit from National Pension System due to the death of the subscriber.
13. For more detailed description of Partial Withdrawal option under NPS, please refer Regulation 8 of PFRDA (Exits & Withdrawals) Regulations, 2015.
14. The Nodal office/POP/Aggregator shall capture the details of the subscriber mentioned on the form and forward the same to NPS Claims Processing Cell (NPS CPC) at address mentioned below:
    NPS Claim Processing Cell,
    Central Record Keeping Agency, NSDL,
    10th Floor, Times Tower, Kamala Mills Compound,
    Senapati Bapat Marg, Lower Parel West, Mumbai - 4000013

पृ. क्र. 486/एफ 2015–04–01753/वित्त/निरस/चार नया रायपुर, दिनांक 27.11.2017

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग /लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव /निज सहायक, मंत्री (समस्त), छत्तीसगढ़, नया रायपुर.
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर.
8. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर.
9. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
11. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर
12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर.
13. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ, नया रायपुर
14. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर.
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
16. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इंद्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़.
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
18. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, नया रायपुर

–को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

19. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु

(राघवेन्द्र कुमार)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

55

//कार्यालयीन टीप //

1. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र कमांक 257/ एफ–2013–04– 00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर दिनांक 29 मई 2018 के परिपेक्ष्य में विश्वविद्यालय में पुनरीक्षित वेतनमान 2009 में शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारियों को तथा पत्र कमांक 259/एफ–2013–04–00416 /वित्त/नियम/चार नया रायपुर दिनांक 29 मई 2018 के अनुसार 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन प्राप्त कर रहे शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारियों को दिनांक 01/07/2017 से महंगाई भत्ते की दर 136 प्रतिशत से बढ़ाकर 139 प्रतिशत की दर से प्रदाय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त आदेशानुसार राज्य शासन द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि बढे हुए महंगाई भत्ते की राशि का माह मई 2018 के वेतन (जून 2018 को भुगतान योग्य) से नगद भुगतान किया जाएगा ।

दिनांक 01.05.2018 से 136 प्रतिशत के स्थान पर 139 प्रतिशत के दर से देय पर इस वृद्वि से वि0वि0पर प्रतिमाह 3.34 लाख एवं प्रतिवर्ष रू0 40.06 लाख का अतिरिक्त भार आएगा ।

अतः महंगाई भत्ता 136 प्रतिशत के स्थान पर 139 प्रतिशत को जून 2018 के माह में जोडने (माह मई 2018 के एरियर्स राशि सहित) एवं प्रकरण माननीय कार्यपरिषद में सूचनार्थ रखे जाने हेतु प्रस्तुत ।

S.O.(F.)

वित्त नियंत्रक

E-21
14/06/18

वित्त निर्देश 34/2018

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 257/एफ-2013-04-00416/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 29 मई, 2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय:-राज्य शासन के कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान 2009 में दिनांक 01.07.2017 से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें

राज्य शासन ने वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 268/एफ 2013-04-00416 /वि/नि/चार, दिनांक 13 जून, 2017 द्वारा छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 में नियत वेतन संरचना के अंतर्गत वेतन प्राप्त करने वाले शासकीय सेवकों को दिनांक 01.01.2017 से 136 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता स्वीकृत किया है। शासन द्वारा उक्त मंहगाई भत्ते की दर में निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया है:-

अवधि जब से देय है	महंगाई भत्ते की दर का प्रतिशत
दिनांक 01-07-2017 से	139 प्रतिशत

(2) राज्य शासन यह भी निर्देशित करता है कि:-

1. बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि का माह मई, 2018 के वेतन (जून 2018 को भुगतान योग्य) से नगद भुगतान किया जाएगा। एरियर भुगतान पर पृथक से निर्णय लिया जाएगा।
2. महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड वेतन) के आधार पर की जावेगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा।
3. महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूलभूत नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।

4. महंगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपयों में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
5. ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।
6. इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के. चक्रवर्ती) 29/5/2018
संयुक्त सचिव

58

कमांक 258/एफ-2018-04-00416/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 29 मई, 2018

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री (समस्त), छत्तीसगढ़, नया रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
9. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
11. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर
12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
14. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
16. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इंद्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
18. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर

- को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

19. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु

(अतुल कुलश्रेष्ठ)
शोध अधिकारी

(59)

वित्त निर्देश 35/2018

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

कमांक 259/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 29 मई, 2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :- छत्तीसगढ़ राज्य के 1 जनवरी 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 285/एफ 2013-04-00416/वित्त/नियम/चार, दिनांक 21 जून, 2017 द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर दिनांक 01.01.2017 से 136 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की गई है।

राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के पेंशनर/परिवार पेंशनरों को निम्नानुसार दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की जाये । वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी :-

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत की दर प्रतिमाह
दिनांक 01-07-2017 से	पेंशन/परिवार पेंशन का 139 प्रतिशत

2/ बढ़े हुए महंगाई राहत की राशि का माह मई, 2018 के पेंशन (जून 2018 को भुगतान योग्य) से नगद भुगतान किया जाएगा। एरियर भुगतान पर पृथक से निर्णय लिया जाएगा।

3/ उपरोक्त मंहगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी । सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त मंहगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 5-10-76 के प्रतिबंधों के

अधीन देय होगी । ऐसे मामलों में जहां पेंशन/परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त/ पुनर्नियुक्त है, वहां पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी । कोई व्यक्ति यदि उसके पति/पत्नी की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे मंहगाई राहत की पात्रता होगी । यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी । इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/10/76/नियम-2/चार, दिनांक 27-7-76 सहपठित ज्ञापन एफ.बी. 6/10/77/नि -2/चार, दिनांक 2-5-77 एवं ज्ञापन क्रमांक 211/379/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 24-7-2007 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

4/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें मंहगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सरांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी ।

5/ यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लागू होंगे, जिन्होंने उपक्रमों/स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 144/97/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 5-6-2007 के अन्तर्गत पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गये है ।

6/ मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा ।

7/ राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों/उप कोषालय अधिकारियों/ पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क्र. ई-4/1-83/नि-5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत मंहगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें । भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राधिकार प्राप्त होने पर मंहगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाये । यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जावे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

29/5/2018

(एस.के. चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव

6.34

पृ.क्र. 260/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 29 मई, 2018

प्रतिलिपि-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड-495220
5. सचिव, लोक आयोग / छ.ग., लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / राज्य सूचना आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर
6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री, छत्तीसगढ़ नया रायपुर
7. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ
9. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
10. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ नया रायपुर
11. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छ0ग0, नया रायपुर
12. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
13. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना / अधीक्षण / अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
14. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग.
16. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
18. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी / पेंशनर्स संगठन एवं समस्त सदस्य पेंशनर कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़
20. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नमेंट एण्ड बैक एकाऊण्ट डिपार्टमेंटस, सी-7, बान्द्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, पोस्ट बैग नं. 8143, बान्द्रा (पूर्व) मुंबई 400051
21. समस्त मुख्य प्रबंधक/उप महाप्रबंधक/जोनल मैनेजर/चीफ मैनेजर/सहायक मुख्य प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़
22. वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर, गुजरात 382010
23. वित्त सचिव, आन्ध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैदराबाद 500001
24. वित्त सचिव, असम शासन, मंत्रालय, शिलांग 793001
25. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना 800001
26. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची 834002
27. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरूवनन्तपुरम 695039

28. वित्त सचिव, तमिलनाडु शासन, मंत्रालय, चेन्नई 600018
29. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 400020
30. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बैंगलोर 560001
31. वित्त सचिव, उड़ीसा शासन, मंत्रालय, भुवनेश्वर 751001
32. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160017
33. वित्त सचिव, हिमाचल प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला 171003
34. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर 302001
35. वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ 226001
36. वित्त सचिव, पश्चिम बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता 700001
37. वित्त सचिव, जम्मू एवं कश्मीर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर 190001
38. वित्त सचिव, मणिपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल 795001
39. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला 799001
40. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा 797001
41 वित्त सचिव, मेघालय शासन, मंत्रालय, शिलोंग 793001
42 वित्त सचिव, मिजोरम शासन, मंत्रालय, एजवाल 796001
43. वित्त सचिव, सिक्किम शासन, मंत्रालय, गंगटोक 717101
44. वित्त सचिव, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादून 248001
45. वित्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल 462004
46. वित्त सचिव, तेलंगाना शासन, मंत्रालय, हैदराबाद 500001
47. वित्त सचिव, हरियाणा शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160017
48. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली 110001
49. वित्त सचिव, गोवा दमन एवं दीव शासन, मंत्रालय पणजी, गोवा 403101
50. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, 5वी मंजिल, सी-ब्लाक, लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380001
51. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, राजकोट 360001
52. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश, हैदराबाद 500463
53. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) आन्धप्रदेश, हैदराबाद 500463
54. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, शिलांग 793001
55. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल 795001
56. प्रधान महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) बिहार, बीरचंद पटेल मार्ग, पटना 800001
57. प्रधान महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, डोरण्डा, पो. रांची 834002
58. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरल, पो. बाक्स नं. 5607, तिरूवनन्तपुरम 695039
59. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु, चेन्नई 600018
60. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु, चेन्नई 600018
61. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कर्वे रोड़, मुंबई 400020

62. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर 440000
63. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड़, बैंगलोर 560002
64. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उड़ीसा, भुवनेश्वर 751001
65. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब, चंड़ीगढ़ 160017
66. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, चंडीगढ़ 160047
67. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोर्टन कंसल भवन शिमला 171003
68. महालेखाकार, (लेखा एवं हक.) राजस्थान, भगवानदास मार्ग जयपुर 302001
69. महालेखाकार-3 (लेखा एवं हक) उत्तरप्रदेश, लखनऊ 226001
70. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद 211001
71. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक) पश्चिम बंगाल, ट्रेजरी विल्डिंग, कोलकाता 700001
72. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर 190001
73. महालेखाकार (लेखा एवं हक) त्रिपुरा, अगरतला 799001
74. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैण्ड, कोहिमा 797001
75. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लाकार भवन, गंगटोक 717101
76. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तराखण्ड, देहरादून 248001
77. संचालक, लेखा (पेंशन शाखा) गोवा, दमन दीव, पोस्ट पणजी, 403101
78. महालेखागार (लेखा एवं हक.) मध्यप्रदेश ग्वालियर 474001
79. वेतन एवं लेखाधिकारी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, पोर्टब्लेयर 744011
80. वेतन एवं लेखाधिकारी, तीस हजारी, दिल्ली 110006
81. मुख्य नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत सरकार, नई दिल्ली
82. नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली
83. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु

-------को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु

(अतुल कुलश्रेष्ठ)
शोध अधिकारी

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), *E-mail ID- academicprsu2@gmail.com*

क्रमांक : 6361 /अका./2018 — रायपुर, दिनांक : 17 /05/2018

प्रति,

केन्द्राध्यक्ष/प्राचार्य,
शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय,
शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)

विषय : दिव्यांग छात्र को अतिरिक्त समय प्रदान करने बाबत्।
संदर्भ : आपका पत्र क्र. परीक्षा/गोपनीय/2017-18/1172 दिनांक 28.12.2017.

=0=0=

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के अपरिप्रेक्ष्य में लेख्य है कि आपके महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र जयन्त अग्रवाल रोल नं.-1723244 बी.एड्. प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है।

भारत सरकार का पत्र क्र. F.No. 16-110/2003-DD. III, Government of India, Ministry of Social Justice & Empowerment, Department of Disablity Affairs, Shastri Bhawan, New Delh, Dated 26th February, 2013 में प्रावधानानुसार दिव्यांग छात्र को परीक्षा अवधि में प्रत्येक घण्टे में 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

संलग्न : F.No. 16-110/2003-DD. III, Government of India, Ministry of Social Justice & Empowerment, Department of Disablity Affairs, Shastri Bhawan, New Delh, Dated 26th February, 2013.

आदेशानुसार,
[signature]
कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 6362 /अका./2018 — रायपुर, दिनांक : 17/05/2018

प्रतिलिपि :

1. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
2. स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

[signature]
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

O/C

F.No. 16-110/ 2003-DD.III
Government of India
Ministry of Social Justice & Empowerment
Department of Disability Affairs
***

(62) 9

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated: 26th February, 2013

Office Memorandum

Subject: Guidelines for conducting written examination for Persons with Disabilities.

The undersigned is directed to say that Chief Commissioner of Persons with Disabilities (CCPD) in its order dated 23.11.2012 in case No. 3929/ 2007 (in the matter of Shri Gopal Sisodia, Indian Association of the Blind Vs. State Bank of India & Others) and in case No.65/ 1041/ 12-13 (in the matter of Score Foundation Vs. Department of Disability Affairs) had directed this Ministry to circulate guidelines for the purpose of conducting written examination for persons with disabilities for compliance by all concerned. In compliance of the above order, this Ministry hereby lays down the following uniform and comprehensive guidelines for conducting examination for the persons with disabilities as recommended by CCPD:-

I. There should be a uniform and comprehensive policy across the country for persons with disabilities for written examination taking into account improvement in technology and new avenues opened to the persons with disabilities providing a level playing field. Policy should also have flexibility to accommodate the specific needs on case-to-case basis.

II. There is no need for fixing separate criteria for regular and competitive examinations.

III. The facility of Scribe/ Reader/ Lab Assistant should be allowed to any person who has disability of 40% or more if so desired by the person.

IV. The candidate should have the discretion of opting for his own scribe/ reader/ lab assistant or request the Examination Body for the same. The examining body may also identify the scribe/ reader/ lab assistant to make panels at the District/ Division/ State level as per the requirements of the examination. In such instances the candidates should be allowed to meet the scribe a day before the examination so that the candidates get a chance to check and verify whether the scribe is suitable or not.

V. Criteria like educational qualification, marks scored, age or other such restrictions for the scribe/ reader/ lab assistant should not be fixed. Instead, the invigilation system should be strengthened, so that the candidates using scribe/ reader/ lab assistant do not indulge in mal-practices like copying and cheating during the examination.

VI. There should also be flexibility in accommodating any change in scribe/ reader/ lab assistant in case of emergency. The candidates should also be allowed to take more than one scribe/ reader for writing different papers especially for languages.

VII. Persons with disabilities should be given the option of choosing the mode for taking the examinations i.e. in Braille or in the computer or in large print or even by recording the answers as the examining bodies can easily make use of technology to convert question paper in large prints, e-text, or Braille and can also convert Braille text in English or regional languages.

VIII. The candidates should be allowed to check the computer system one day in advance so that the problems, if any in the software/ system could be rectified.

IX. The procedure of availing the facility of scribe should be simplified and the necessary details should be recorded at the time of filling up of the forms. Thereafter, the examining body should ensure availability of question papers in the format opted by the candidate as well as suitable seating arrangement for giving examination.

X. The disability certificate issued by the competent medical authority at any place should be accepted across the country.

XI. The word "extra time or additional time" that is being currently used should be changed to "compensatory time" and the same should not be less than 20 minutes per hour of examination for persons who are making use of scribe/ reader/ lab assistant. All the candidates with disability not availing the facility of scribe may be allowed additional time of minimum of one hour for examination of 3 hours duration which could further be increased on case to case basis.

XII. The candidates should be allowed to use assistive devices like talking calculator (in cases where calculators are allowed for giving exams), tailor frame, Braille slate, abacus, geometry kit, Braille measuring tape and augmentative communication devices like communication chart and electronic devices.

XIII. Proper seating arrangement (preferably on the ground floor) should be made prior to the commencement of examination to avoid confusion or

distraction during the day of the exam. The time of giving the question papers should be marked accurately and timely supply of supplementary papers should be ensured.

XIV. The examining body should also provide reading material in Braille or E-Text or on computers having suitable screen reading softwares for open book examination. Similarly online examination should be in accessible format i.e. websites, question papers and all other study material should be accessible as per the international standards laid down in this regard.

XV. Alternative objective questions in lieu of descriptive questions should be provided for Hearing-Impaired persons, in addition to the existing policy of giving alternative questions in lieu of questions requiring visual inputs, for persons with Visual Impairment.

2. It is requested to ensure that the above guidelines are scrupulously followed while conducting examination for persons with disabilities. All the recruitment agencies, Academics/ Examination Bodies etc. under your administrative control may be advised appropriately to ensure compliance of implementing these guidelines. Action taken in this regard may be intimated to this office.

3. The above guidelines are issued with the approval of Hon'ble Minister (Social Justice & Empowerment).

Yours faithfully,

Sd/ -
(Jagdish Kumar)
Deputy Secretary to the Govt. of India

To

1. Secretary of all Ministries/ Department.
2. Secretary, UPSC, Shahjahan Road, New Delhi.
3. Chairman, SSC, Block No.12, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.
4. Chairman, University Grants Commission with a request to issue necessary instructions to all universities including Deemed Universities for compliance.
5. All National Institutes and RCI under administrative control of Department of Disability Affairs, Ministry of SJ&E, New Delhi

Copy to : CCPD, Sarojini Bhawan, Bhagwan Dass Road,New Delhi with reference to order dated 23.11.2012 in case No. 3929/ 2007 and in case No.65/ 1041/ 12-13.

(65)

V. Criteria like educational qualification, marks scored, age or other such restrictions for the scribe/ reader/ lab assistant should not be fixed. Instead, the invigilation system should be strengthened, so that the candidates using scribe/ reader/ lab assistant do not indulge in malpractices like copying and cheating during the examination.

VI. There should also be flexibility in accommodating any change in scribe/ reader/ lab assistant in case of emergency. The candidates should also be allowed to take more than one scribe/ reader for writing different papers especially for languages.

VII. Persons with disabilities should be given the option of choosing the mode for taking the examinations i.e. in Braille or in the computer or in large print or even by recording the answers as the examining bodies can easily make use of technology to convert question paper in large prints, e-text, or Braille and can also convert Braille text in English or regional languages.

VIII. The candidates should be allowed to check the computer system one day in advance so that the problems, if any in the software/ system could be rectified.

IX. The procedure of availing the facility of scribe should be simplified and the necessary details should be recorded at the time of filling up of the forms. Thereafter, the examining body should ensure availability of question papers in the format opted by the candidate as well as suitable seating arrangement for giving examination.

X. The disability certificate issued by the competent medical authority at any place should be accepted across the country.

XI. The word "extra time or additional time" that is being currently used should be changed to "compensatory time" and the same should not be less than 20 minutes per hour of examination for persons who are making use of scribe/ reader/ lab assistant. All the candidates with disability not availing the facility of scribe may be allowed additional time of minimum of one hour for examination of 3 hours duration which could further be increased on case to case basis.

XII. The candidates should be allowed to use assistive devices like talking calculator (in cases where calculators are allowed for giving exams), tailor frame, Braille slate, abacus, geometry kit, Braille measuring tape and augmentative communication devices like communication chart and electronic devices.

XIII. Proper seating arrangement (preferably on the ground floor) should be made prior to the commencement of examination to avoid confusion or

पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ. ग.)

नस्ती क्रमांक ....   पृष्ठ क्रमांक (05)

प्रभारी अधिकारी श्री K.K. Goel   शाखा NCNR   प्रभारी लिपिक K. Sharma

विषयः– Shifting of Air Compressor of NMR Equipment and मद स्थानांतरित विषयक। (FOR REAPPROPRIATION)

पूर्व पृष्ठ कमांक 04 के अनुक्रम में प्रस्तावित हैः–

- वित्तीय वर्ष 2018–19 में NCNR विभाग के व्यय हेतु लिपिकीय त्रुटिवश सामान्य मद के स्थान पर विकास मद में व्यय राशि रू. 25.00 लाख प्रावधानित/आंबटित की गई है।
- NCNR विभाग को सुगमतापूर्वक संचालन हेतु उक्त प्रावधानित व्यय राशि को विश्वविद्यालय सामान्य मद में स्थांतरण किया जाना प्रस्तावित है, तदानुसार माननीय कार्यपरिषद के समक्ष, सक्षम अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।
- उक्त प्रावधानित राशि के स्थान्तरण से विश्वविद्यालय बजट 2018–19 में प्रभाव परिलक्षित नहीं होगा।

(A)

69/NCNR
3.10.18

(67)

// संक्षेपिका //

विषय– विश्वविद्यालय भवन/परिसर में सीसीटीवी कैमरा स्थापति करने विषयक ।

उपरोक्त विषयांकित वृहद परिक्षेत्र (लगभग 4 कि.मी.) मे विस्तृत विश्वविद्यालय जिसमें प्रशासनिक एवं अकादमिक विभाग के साथ विभिन्न अध्ययन शाला, ग्रथांलय, छात्रावास, आवास, उद्यान आदि के परिसम्पत्ति, छात्र–छात्रा, व्यवस्थापन, अनुचित घटना रोकने, एवं आधुनिकत व्यवस्था अनुरूप युक्तियुक्त **सुरक्षा एवं प्रबंधन** हेतु विश्वविद्यालय भवन/परिसर में सी.सी.टी.वी. कैमरा प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है।

उक्त प्रयोजन हेतु परियोजना प्रतिवेदन जिसमें औचित्य, बजट प्रावधान, लाभ, अनुमानित कीमत, कय का माध्यम, उपकरणों का Specification आदि का संक्षिप्त रूप रेखा निम्नानुसार हैः–

औचित्य, लाभ एवं प्रावधानित बजट –

- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर/भवनों एवं जनों के युक्तियुक्त **सुरक्षा एवं प्रबंधन** हेतु विश्वविद्यालय भवन/परिसर में सी.सी.टी.वी. कैमरा प्रतिस्थापित किया जाना महत्वपूर्ण है।
- सी.सी.टी.वी. कैमरा प्रतिस्थापन से आकड़े(डाटा) स्थायी प्रतिरूप में प्राप्त होगें जिससे भविष्यगत अनुचित घटना में साक्ष्य स्वरूप प्रयोग किये जा सकते है, जिससे संदिग्धों का हौसला पस्त होगा ।
- उक्त उपकरण से आगंतुक एवं विश्वविद्यालय के जनों का साहस एवं सुरक्षा की भावना प्रबल होगी ।
- कम मानव संसाधन/बल में भी सुरक्षा संबधी कार्य में महत्वपूर्ण आयाम प्राप्त होगा ।
- **विश्वविद्यालय वित्तीय सत्र 2018–19 के सामान्य मद के Bio metric & CCTV Camera में राशि रू. 50.00(लाख) प्रावधानित किया गया है ।**

परियोजना में प्रयुक्त तकनीकी उपकरण विवरण, तुलनात्मक दर एवं विभागवार प्रतिस्थापन– (पृष्ठ कमांक 04 से 44)

- उक्त प्रयोजन हेतु महव्तपूर्ण तकनीकी उपकरण प्रतिस्थापन होगे यथा– Camera, Recorder, Power Suplly, Connectivity, Display Wireless Radio.
- Technical detail of above euqipement का विवरण ।
- प्रमुख स्थापित कैमरा यथा– Academic Depatment Buildings - 46 Camera
  - Hostels - 17 Camera
  - Residence - 04 Camera
  - Administration Department - 45 Camera
  - Campus Road and Squeares - 16 Camera
- उक्त उपकरणों को Gem के माध्यम से कय किया प्रस्तावित है, जिसमें सभी उपकरणों का चार फर्मो द्वारा प्रस्तुत दर का तुलनात्मक विवरणिका लेख्य किया गया हैं।
- उक्त उपकरणों का तकनीकी Specification पृष्ठ संख्या 12 से 44 तक के पृष्ठों में विस्तृत विवरण लेख्य किया गया है ।

Next-Page.

29 Set

(68)

परियोजना में होने वाले अनुमानित व्यय एवं कय प्रकिया (श्रमिक व्यय, कर सहित) –

- उक्त परियोजना की अनुमानित लागत जिसमें श्रमिक व्यय, अन्य कर सहित **लगभग राशि रू. 27.00(लाख) होगी ।**
- परियोजना में 08 Monitor 32 inch, 08 Wireless Radio, 16 Network video Recorder, 2MP IP CCTV Camera-128, 2MP IP PTZ Camera-04 उपकरण प्रयुक्त किये जायेगे ।
- दर्शित समस्त दर वर्तमान प्रचलित दरों पर अनुमानित है ।
- **उक्त समस्त उपकरण भारत सरकार के Govt. E. Marketplace(Gem) से कय किया जाना प्रस्तावित है।**

परियोजना की संक्षिप्तिका एवं प्रस्ताव–

- परिवर्तित परिवेश के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों एवं राष्ट्रीय मूलयांकन एवं प्रत्यायन परिषद(NAAC) के ग्रेडिंग प्राप्त परिलब्धता अनुरूप विश्वविद्यालय परिसर/भवन एवं जनों के सुरक्षा हेतु उक्त उपकरण प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है।
- कार्य योजना में एक वर्ष का वार्षिक रखरखाव भी सम्मिलित किया गया है।

माननीय कार्यपरिषद के समक्ष प्रशासकीय स्वीकृति एवं अनुमादनार्थ प्रस्तुत।

14.06.2018.

Finance Controller
Pt. R.S.S. UNIVERSITY
RAIPUR(C.G.)